छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000

बारहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 24 मार्च 2012
समय : दोपहर 2.30 बजे
स्थान : पण्डरी वन परिसर, रायपुर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007
दूरभाषः (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594
E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in Website : www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/सह./2012/3698 रायपुर दिनांक 09.03.2012

प्रति,

1. **माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर ग्राम व पोस्ट डेडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. **श्री संगेसिंग वट्टी, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम पो धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
3. **श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम अछोली, पो. आमगांव, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
4. **श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम मुड़ीझरिया, पो. पतेरापाली, तह. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
5. **श्री पुनीत राम सिन्हा,** संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम- छेल डोगरी, पो. गोहरापदर, थाना व तह. मैनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
6. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
7. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
8. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
9. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
10. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
11. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर
12. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
13. **मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
14. **श्री ए.के.सिंह, उप सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.

15. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

16. **श्री बलभद्र सिंह ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर, **संघ प्रतिनिधि**, पता-ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर (छ.ग.)

17. **श्री रामनारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर (छ.ग.)

18. **श्री रविशंकर गोड़,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटे लोरम, जिला महासमुंद (छ.ग.)

19. **श्री आलोक सिन्हा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम व पोस्ट नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

20. **श्री तीजम सिंह मरावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम ठरकपुर, पोस्ट खम्परिया, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

21. **श्री दयाल सिंह यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

22. **श्री नृपत सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

23. **श्रीमती मानकुंवर राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयढ़ (छ.ग.)

24. **श्री अक्षय कुमार अग्रवाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतर्रा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

25. **श्री उधोराम कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि**, पता- मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा (छ.ग.)

26. **श्री चुन्नीलाल साहू,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम व पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा, तहसील व जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

27. **श्री गंगाराम ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)

28. **श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम खमपुरा, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

29. **श्री पंचराम ध्रुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

30. **श्री केदारनाथ साहिनी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि**, पता- ग्राम माड़पार, तहसील कुरन्दी, जिला बस्तर (छ.ग.)

31. **श्री कवासी रमेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट रामाराम, तह.कोंटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

32. **श्री नीलम गनपत,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम-गुलापेटा, पोस्ट चंदनगिरी, तह. भोपालपटनम, जि.-बीजापुर (छ.ग.)

33. **श्री सुकदास शारदूल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव जिला बस्तर (छ.ग.)

34. **श्रीमती राजकुमारी मरकाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट-बॉसकोट, तहसील-केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

35. **श्री महादेव देहारी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम डूमरतरई, पोस्ट-वाकुलवाही, तहसील व जिला - नारायणपुर (छ.ग.)

36. **श्री दिवाकर बैरागी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम पी.व्ही.39 पोस्ट पी.व्ही.38 तह.पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

37. **श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

38. **श्री कृष्ण मुरारी यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम गॉजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

39. **श्री करमदेव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा (छ.ग.)

40. **श्री रामस्वरूप यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर, **संघ प्रतिनिधि**,
पता- ग्राम खैरापाठ, जे. कामरिया, तहसील बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की बारहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 24.03.2012 की सूचना ।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो./सह./12वीं/वार्षिक आमसभा/2012/2968, दिनांक 22.02.2012

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की बारहवीं **वार्षिक साधारण सभा दिनांक 24.03.2012 दिन शनिवार** को अपरान्ह 2.30 बजे **से आयोजित करने की सूचना दी गई है** । वार्षिक सभा का आयोजन **अनुसंधान एवं विस्तार वन मण्डल कार्यालय, वन परिसर पण्डरी, रायपुर** में किया जाना है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के सदस्यों अर्थात प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियन से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है ।

कार्यसूची

विषय क्रमांक - 1 **ग्यारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 26.03.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

विषय क्रमांक - 2 **वित्तीय वर्ष 2011-12 में किये गये कार्यों का विवरण ।**

विषय क्रमांक - 3 **वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।**

विषय क्रमांक - 4 **वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बजट की स्वीकृति ।**

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

नोटः- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात अपरान्ह 3.00 बजे से पुनः उसी स्थान पर साधारण सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । **वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न** प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की **बारहवीं वार्षिक आमसभा** में उपस्थित सभी सम्मानीय प्रतिनिधियों एवं संचालक मण्डल के माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं ।

सहकारिता के त्रिस्तरीय ढ़ाचे में लघु वनोपज संघ 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका कार्यक्षेत्र पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है । छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज होने का बाहुल्य है । लगभग 13 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते है, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है । राज्य वनोपज संघ इन्ही वर्गो के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है ।

संग्रहण सीजन 2011 में 13.57 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसका विक्रय मूल्य रू. 355.31 करोड़ है ।

संग्रहण वर्ष 2012 में संगृहित होने वाले तेन्दूपत्तें की अनुमानित पूर्ण मात्रा 16.399 लाख मानक बोरा का अग्रिम निर्वर्तन किया जा चुका हैं । इसके विक्रय से लगभग रूपये 620.19 करोड़ की राशि प्राप्त होगी । इस वर्ष तेन्दूपत्ता औसत विक्रय दर रु. 3782/- प्रति मानक बोरा है, जो विगत वर्षो की तुलना में 44% अधिक है, फलस्वरुप लगभग रू. 418 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है, जिससे संग्राहकों को लगभग रूपये 334 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है । तेन्दूपत्ता के व्यवसाय में आशातीत सफलता के लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से लाभ का विभाजन निम्नानुसार किया जावे :-

क. 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को ''प्रोत्साहन पारिश्रमिक'' के रूप में वितरित की जाये ।

ख. 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

ग. शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

उपरोक्त निर्णयानुसार वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत की राशि रू. 134.21 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण हेतु जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है । अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु रू. 25.16 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष राशि रू. 8.39 करोड़ का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी है । तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2011 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) लगभग रूपये 152.00 करोड़ की राशि उपलब्ध है जिसका विभाजन शासन निर्णय अनुसार किया जावेगा ।

तेन्दूपत्ता के व्यापार से वर्ष 2003 तक 325 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियाँ घाटे पर थी, वर्ष 2004 से तेन्दूपत्ता नीति में किये गये संशोधन उपरांत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का घाटा निरंतर कम होते हुए वर्ष 2011 तक मात्र 36 समितियाँ ही घाटे पर है ।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की जावेगी । इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रूपये 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है । लगभग 11.60 लाख जोड़ी चरणपादुका क्रय की कार्यवाही की जा रही है जिसका कि वितरण इस वर्ष कर दिया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संर्वधन एवं विकास हेतु यूरोपियन कमीशन परियोजना की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना स्वीकृत की गई है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई है तथा मार्च 2013 में समाप्त होगी । योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि रू. 2120.64 लाख प्राप्त हुई है । वर्ष 2011-12 में इस मद से राशि रू. 391.60 लाख के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं । इस राशि से लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है, जिससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त हो रही है ।

स्व सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य संघ द्वारा किया गया है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि से माहुलपत्ता, इमली, आंवला, काजू, चिरौंजी, शहद, लाख एवं वनौषधि आधारित कुल 93 माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए है । प्रदेश के वन क्षेत्र में ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैय्या कराने हेतु 27 जिलों के 50 स्थानों में वनौषधालय की स्थापना हेतु कार्यवाही की गई है, जिससे वनवासी ग्रामीण अपने नजदीक ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे । समस्त 6 वन वृत्त मुख्यालय पर स्थापित NWFP मार्ट तथा विभिन्न जिला यूनियनों में स्थापित 43 संजीवनी के माध्यम से लघु वनोपज के उत्पादों के विक्रय का

कार्य किया जा रहा है । ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड के इन उत्पादों का वॉल पेंटिंग, टेलीविजन, रेडियो एवं विभिन्न मेलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर ब्रांड प्रमोशन के कार्य किए जा रहें हैं । क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 12837 हितग्राहियों एवं 4180 स्टॉफ को स्व- सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण एवं माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण तथा विनाश विहीन विदोहन, लाख पालन तथा शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है । परियोजना अंतर्गत कुल 8 सेमिनार / कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 458 स्टॉफ एवं रिसोर्स पर्सन द्वारा भाग लिया गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयास से विगत 7-8 वर्षों में औसतन 7000 मी.टन लाख उत्पादन के साथ भारत में छत्तीसगढ़ लाख उत्पादक अग्रणी राज्यों में से एक रहा है । वर्ष 2011-12 के लिये लाख विकास विकास योजना के तहत राशि रूपये 127.26 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा वित्तीय वर्ष में लाख पालन माइक्रोइंटरप्राईजेस की 9 परियोजनायें स्थापित की जा चुकी है । ग्रामीणों को लाख पालन की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कांकेर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र की स्थापना की जा रही है । लाख पालन को बढ़ावा देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में विडियो फिल्म के माध्यम से जिला यूनियनों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा प्रचार-प्रसार का कार्य भी किय जा रहा है । यहां यह विशेष रूप से उल्लेख है कि जिला यूनियनों के संचालक मंडल के 65 सदस्यों को इस वर्ष भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (IINRG) रांची द्वारा लाख पालन एवं इसकी क्रियाविधि के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है तथा यह सतत् प्रक्रिया प्रदेश के समस्त जिला यूनियनों के संचालक मंडल के सदस्यों के लिये जारी है ।

प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से लाख पालन एवं प्रसंस्करण परियोजना के अंतर्गत् 26 माइक्रोइंटरप्राईजेस को जिला यूनियनों में संचालित किया जा रहा है । परियेाजना की अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक है तथा इसके लिये 14.97 करोड़ रूपये प्रावधानित है । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सुदूर वनांचल क्षेत्रों के लोगों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के माध्यम से जीवकोपार्जन हेतु आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराना है । परियोजना अवधि में 13204 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें वर्ष 2011-12 के लिये 748.91 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

लाख पालन में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतु वर्ष 2010-11 के लिये प्रगतिशील कृषक श्री मनीराम पोयाल, जगदलपुर को ''उत्कृष्ठ लाख पालक कृषक'' तथा श्रीमती सोनल शर्मा सीनियर एक्सीक्यूटिव वनोपज संघ, रायपुर को ''उत्कृष्ठ लाख प्रचारक एक्सीक्यूटिव'' का पुरूस्कार दिनांक 13.02.2012 को भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (IINRG) रांची द्वारा प्रदान किया गया है ।

यू.एन.डी.पी. - पर्यावारण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2010-11 तीन वर्षो के लिये 2.5 करोड़ की जन सहयोग आधारित जैव विविधता संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना स्वीकृत की गयी है । इस परियोजना के संचालन हेतु जगदलपुर, उत्तर कोंडागांव एवं कटघोरा वनमंडल के कुल 19241.284 हेक्टेयर क्षेत्र अंतःस्थलीय संरक्षण हेतु चयनित किया गया है । संसाधन सर्वेक्षण, अंतः स्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनौषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता विकास, अनुसंधान एवं विस्तार, जैविक प्रमाणीकरण, लाख पालन, ईमली, चिरौंजी व माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्व सहायता समूहों एवं वन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना दिनांक 01.05.07 से लागू की गई है । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जा रही है । इसमें समस्त 18 से 59 वर्ष आयु के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनके द्वारा वर्ष 2009 या 2010 में तेन्दूपत्ता तोड़ा गया है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2011-12 में माह जनवरी 2012 तक कुल 5495 व्यक्तियों को रूपये 11.904 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रत्येक बच्चे प्रति छःमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । शैक्षणिक वर्ष 2010-11 का माह जनवरी 2012 तक कुल रूपये 8.985 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान कुल 74,876 छात्र/छात्राओ को किया जा चुका है ।

तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के शेष सदस्यों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । चूंकि सामान्य मृत्यु की दशा में यह राशि बहुत कम है, अतः वर्ष 2011-12 से एक अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत् दुर्घटना या साधारण मृत्यु की दशा में पृथक से रूपये 4000/-का भुगतान हितग्राहियों को किया जा रहा है ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चो हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत् :-

(क) <u>मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार</u> :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा

को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है । माह जनवरी 2012 तक कुल 3588 छात्र/छात्राओ को कुल राशि रूपये 86.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) <u>व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति</u> :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, जिसमें किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो । चयनित विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

जैसा की आपको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 प्रवृत्त हो चुका है । इस अधिनियम में तेन्दूपत्ता संग्राहको की पुरानी समूह बीमा योजना तथा जनश्री बीमा योजना, छात्रवृत्ति सहित तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक तथा चरण पादुका वितरण जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों का समावेश कर समय सीमा निर्धारित की गई है । राज्य वनोपज संघ द्वारा इन विषयों को लोक सेवा गारंटी में सम्मिलित करने से गरीब संग्राहकों को उनकी हक की राशि लघु वनोपज से बिना विलम्ब के प्राप्त होगी ।

यहां यह बताना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2012 को अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है । राज्य वनोपज संघ भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर के निर्वाचित अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को सहकारिता अधिनियम व नियम एवं समिति उपविधियों तथा अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी (राज्य सहकारी संघ के माध्यम से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण का आयोजन कर) देकर उन्हे अधिक जागरूक करने हेतु प्रयासरत है ।

आभार

मैं राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से आप सभी उपस्थित संघ के संचालक मण्डल के माननीय संचालक सदस्यों तथा जिला यूनियनों से आये प्रतिनिधियों, संघ व जिला यूनियन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं । इनके प्रयासो के कारण शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वनोपज संघ अपने संग्राहकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सक्षमता से अग्रसर है ।

आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी का इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहेगा ।

जय सहकार । जय छत्तीसगढ़ । **(मुरारी लाल सिंह)**

अध्यक्ष

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	ग्यारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 26.03.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-10
2.	वित्तीय वर्ष 2011-12 में किये गये कार्यों का विवरण ।	11-47
3.	वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	48-54
4.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बजट की स्वीकृति ।	55-60

<u>विषय क्रमांक - 1</u>

विषय :- ग्यारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 26.03.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की दसवीं वार्षिक आमसभा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल सिंह की अध्यक्षता में **अनुसंधान एवं विस्तार वन मण्डल कार्यालय, वन परिसर पण्डरी, रायपुर** में दिनांक **26.03.2011** दिन शनिवार को **अपरान्ह 2.30 बजे** से प्रांरभ की गई ।

बैठक के प्रांरभ में प्रबंध संचालक द्वारा माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्यों एवं सदस्य संस्थाओं से आये संघ प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया गया । सभी संचालक सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्ति उपरांत आमसभा की कार्यवाही प्रांरभ की गई ।

आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

01	**माननीय श्री मुरारीलाल सिंह,** **अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर	**अध्यक्ष**
02	**श्री सग्गेसिंग बट्टी,** **उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,	**उपाध्यक्ष**
03	**श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर	**संचालक**
04	**श्री रूपनारायण पाण्डेय,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,	**संचालक**
05	**श्री पुनीत राम सिन्हा,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर,	**संचालक**
06	**श्री आर.बी.पी.सिन्हा** मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर	**सदस्य**
07	**श्री युनूस अली,** विशेष सचिव, वास्ते, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर	**सदस्य**
08	**श्री एस.एल.रात्रे,** संयुक्त सचिव, वास्ते, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर	**सदस्य**
09	**सुश्री अल्पना घोष,** उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर	**सदस्य**

10	**श्री अशोक कुमार मिश्रा,** **क्षेत्रीय महाप्रबंधक,** वास्ते, कार्यकारी संचालक, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, नई दिल्ली	**सदस्य**
11	**श्री एल.के.मिश्रा,** **विशेष कर्तव्य अधिकारी,** आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर	**सदस्य**
12	**श्री बलभद्र सिंह ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर,	**प्रतिनिधि**
13	**श्री रामनारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर	**प्रतिनिधि**
14	**श्री रविशंकर गोड़,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद	**प्रतिनिधि**
15	**श्री आलोक सिन्हा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी	**प्रतिनिधि**
16	**श्री तीजम सिंह मरावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर	**प्रतिनिधि**
17	**श्री दयाल सिंह यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही	**प्रतिनिधि**
18	**श्रीमती मानकुंवर राठिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़,	**प्रतिनिधि**
19	**श्री अक्षय कुमार गर्ग**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा	**प्रतिनिधि**
20	**श्री उधोराम कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा,	**प्रतिनिधि**
21	**श्री चुन्नीलाल साहू,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा	**प्रतिनिधि**
22	**श्री गंगाराम ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग,	**प्रतिनिधि**
23	**श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़,	**प्रतिनिधि**
24	**श्री पंचराम ध्रुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा,	**प्रतिनिधि**
25	**श्री केदारनाथ साहनी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर	**प्रतिनिधि**
26	**श्री कवासी रमेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा,	**प्रतिनिधि**

27	**श्री नीलम गनपत,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर,	**प्रतिनिधि**
28	**श्री सुकदास शारदूल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव,	**प्रतिनिधि**
29	**श्री दिवाकर बैरागी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर	**प्रतिनिधि**
30	**श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर	**प्रतिनिधि**
31	**श्री रामस्वरूप यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर	**प्रतिनिधि**
32	**श्री ए.के. सिंह,** **प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	**सदस्य**

ग्यारहवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

बैठक की कार्यवाही प्रांरभ करते हुए सर्वप्रथम संघ के माननीय अध्यक्ष द्वारा अपना अध्यक्षीय उद्‌बोधन दिया गया ।

तदुपरांत सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1	दसवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 30.03.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	ग्यारहवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा दसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
2	वित्तीय वर्ष 2010-11 में किये गये कार्यों का विवरण ।	वार्षिक आम सभा में संघ के प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय 2010-2011 में किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत सहमति व्यक्त की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

3	वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन	प्रबंध संचालक, संघ द्वारा संघ में वर्ष 2011-2012 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
4	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ग्यारहवीं साधारण आमसभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई ।	स्वीकृत बजट के अनुरूप कार्य सम्पन्न किया गया ।
5	वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम वित्तीय पत्रकों पर विचार ।	वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम वित्तीय पत्रकों का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया । पंजीयक सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों को पुनः प्रस्तुत किया जावे ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
6	वर्ष 2001 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन	वर्ष 2001-02 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।

अतिरिक्त विषय बिन्दु :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1	आमसभा में उपस्थित प्रदेश प्रतिनिधियों द्वारा जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अध्यक्ष की भांति 100 दिवस वाहन उपयोग की स्वीकृति प्रदान किये जाने का पुनः मुद्दा उठाया गया ।	इस विषय पर प्रबंध संचालक संघ द्वारा अवगत कराया गया कि आमसभा में निर्णय के उपरान्त संघ के संचालक मण्डल में इस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को निर्णय हेतु प्रेषित किया गया था ।	पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समस्त प्रदेश प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ को संघ के बायलॉज एवं पूर्व प्रेषित् पत्र क्रमांक 2252 दिनांक 08.02.2011 तथा शासन का पत्र (जिसमें 100 दिवस यात्रा संबंधी मांग

	उनके द्वारा बताया गया कि तत्संबंध में शासन की अस्वीकृति संबंधी संघ मुख्यालय का पत्र प्राप्त नही हुआ है । आमसभा में संघ प्रतिनिधि इसी मुद्दे पर मांग करते रहे कि उन्हे 100 दिवस वाहन उपयोग की स्वीकृति दी जावें तथा इसी बैठक में इस विषय पर स्वीकृति दी जावें ।	छ.ग.शासन, वन, मंत्रालय द्वारा उक्त प्रस्ताव को पत्र क्रमांक 5636/5242/10/10-1/वन,दिनांक 29.12.2010 से अमान्य किया गया है, जिसकी जानकारी से समस्त प्रतिनिधि जिला यूनियन छ. ग. को पत्र क्रमांक 2252 दिनांक 08.02.2011 से अवगत कराया गया है । संघ प्रतिनिधियों को पत्र की प्रति अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा व्यवस्था दी गई कि तत्संबंधी जानकारी संघ प्रतिनिधि के पते पर प्रेषित् कर दी जावेगी । प्रबंध संचालक, संघ द्वारा अवगत कराया कि इस विषय पर शासन ही निर्णय ले सकता है तथा इस विषय को आमसभा की मांग अनुरूप पुनः निर्णय लेने हेतु शासन को प्रेषित कर दिया जावेगा ।	अमान्य की गई है।) की छायाप्रति संलग्न कर पत्र क्रमांक 5189 दिनांक 20.04.2011 से प्रेषित् किया गया । प्रस्तुत विषय पर पुनर्विचार हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को पत्र क्रमांक 8014 दिनांक 01.07.2011 प्रेषित् किया गया ।
2	श्री टीकम टांडिया, श्री मोतीराम उईके, श्री अक्षय कुमार गर्ग, क्रमशः प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, खैरागढ़, कटघोरा द्वारा महिलाओं को फड़ अभिरक्षक नियुक्त न करने की बात कही गई । उनके द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक सदस्यों को फड़ अभिरक्षक नियुक्ति करने की बात कही गई ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया कि फड़ अभिरक्षक की नियुक्ति इसलिये की जाती है कि तेन्दूपत्ता राष्ट्रीयकृत वनोपज है, जिसके व्यापार पर शासन का एकाधिकार है तथा किसी अनियमितता की दशा में शासकीय कर्मचारियों को दण्डित किया जा सकता है तथा उसको पोषक अधिकारियों एवं जोनल अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में कार्य करना होता है । अतः प्राथमिक समिति के संचालक मण्डल के सदस्यों से यह कार्य कराया जाना उचित नही होगा । फिर भी	किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।

		यदि प्राथमिक सहकारी समिति के संचालक मण्डल के सदस्य फड़ अभिरक्षक का कार्य करने की सहमति देते हैं तथा प्राथमिक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है तब उस पर शासन की सहमति से विचार किया जा सकता है । संचालक सदस्यों के द्वारा फड़ों पर पर्यवेक्षण का कार्य किया जाना चाहिये । परंतु इस मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन सकी । महिलाओं को फड़ अभिरक्षक नियुक्ति न करने के संबंध में प्रबंध संचालक, संघ ने बताया कि शासन की नीति महिलाओं के साथ किसी प्रकार के भेद-भाव की नही है ।	
3	अक्षय कुमार गर्ग, प्रतिनिधि जिला वनोपज यूनियन कटघोरा ने भ्रमण के दौरान तेन्दूपत्ता अवैध संग्रहण का मुद्दा उठाया तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध संग्रहण होने पर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को बताये जाने पर कोई कार्यवाही नही करते ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में संबंधित जिला यूनियन को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया जावेगा ।	प्रबंध संचालक, संघ मुख्यालय के पत्र क्रमांक 9780 दिनांक 11.08.2011 से प्रबंध संचालक जिला यूनियन कटघोरा को तत्संबंध मे कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
4	उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा संघ के उपनियम (बायलॉज) की प्रति उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया गया तथा यह विचार व्यक्त किया गया कि उपनियम की प्रति प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जावेगी, तो अधिकार/कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जावेगी ।	प्रबंध संचालक द्वारा प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि प्रतिनिधियों को उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक से संघ के उपनियम (बायलॉज) की प्रति उपलब्ध करा दी जावेगी ।	पारित निर्णय के क्रियान्वयन में सभी प्रदेश प्रतिनिधियों को संघ की उपविधि की छायाप्रति पत्र क्रमांक 5189 दिनांक 20.04.2011 से प्रेषित् की गई ।

5	आमसभा में अनेक सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि इस बैठक में आने-जाने का अग्रिम संघ प्रतिनिधियों को नही दिया जाता तथा उनके यात्रा देयको का भुगतान नही किया जाता । संघ प्रतिनिधियों को जिला यूनियन में बैठक व्यवस्था की सुविधा नही है तथा प्रबंध संचालकों द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नही दिया जाता ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि संघ प्रतिनिधियों को जिला यूनियन से इस बैठक हेतु यात्रा अग्रिम दिये जाने के तथा यात्रा भत्ता भुगतान करने के निर्देश जिला यूनियन को दिये गये है । पुनः इस संबंध में निर्देश संघ मुख्यालय से जारी कर दिये जावेगें ।	निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा अग्रिम प्रदाय करने तथा यात्रा देयको के भुगतान बाबत् निर्देश पत्र क्रमांक 9513 दि. 04.08.11 द्वारा जारी किये गये । भविष्य में भी यात्रा देयको का भुगतान नियमानुसार समयावधि के भीतर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
6	श्री गंगाराम ठाकुर, प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन दुर्ग संघ प्रतिनिधि ने बीमा प्रकरण के समय से निराकरण तथा बीमा प्रकरण निराकरण की अवधि में वृद्धि का मुद्दा उठाया तथा लिखित में पत्र प्रस्तुत किया गया ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि बीमा प्रकरणों के निराकरण हेतु यथा संभव भारतीय जीवन बीमा निगम को लेख किया जा रहा है तथा उनके द्वारा प्रकरणो को यथा संभव 30.04. 2011 तक निराकरण का आश्वासन दिया गया है ।	किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।
7	श्री आलोक सिन्हा, जिला वनोपज सहकारी यूनियन धमतरी, संघ प्रतिनिधि ने यह मुद्दा उठाया कि संघ में जो भी भर्ती की गई है, बिना पैसे के भर्ती नही की गई है तथा पैसे लेकर भर्ती की गई है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ।	संघ भर्ती में इस प्रकार के आरोप के संबंध में सदस्य के द्वारा साक्ष्य सहित लिखित आवेदन संघ में दिया जावें ।	किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।

8	उपस्थित प्रतिनिधियों ने मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यो का ठीक तरह से नही होने का मुद्दा उठाया तथा यह भी अवगत कराया गया है कि जो राशि स्वीकृत की जाती है उनके अनुरूप कार्य नही होता है ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि संघ प्रतिनिधि मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यो का निरीक्षण कर सकते है । मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी जानकारी जिला यूनियन एवं प्राथमिक समिति स्तर पर उपलब्ध रहती है तथा कार्यो की प्रगति से संचालक मण्डल की बैठक में अवगत कराये जाने के निर्देश है । अतः इन मुद्दो को जिला यूनियन की संचालक मण्डल की बैठक में उठाया जाना चाहिये । आवश्यकतानुसार लिखित शिकायत भी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को दी जावें ।	किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।
9	**<u>श्री गंगाराम ठाकुर,</u>** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग संघ प्रतिनिधि ने लिखित में पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निम्न मुद्दो को उठाया गया ।		
	1. जनश्री एवं समूह बीमा मृत्यु के प्रकरणों की प्रस्तुत करने की समय सीमा 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष करने तथा निरस्त होने वाले प्रकरणों का लिखित में सूचित किये जाने का सुझाव दिया गया ।	प्रबंध संचालक, संघ ने अवगत कराया कि जनश्री एवं समूह बीमा प्रकरणों का निराकरण भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुकूल किया जाता है । बीमा कार्यालय द्वारा निरस्त किये प्रकरणों की जानकारी से आवेदक को समिति प्रबंधक द्वारा अवगत कराया जाना चाहिये ।	(1) किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।
	2. जनश्री बीमा योजना अंतर्गत् छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में 2007-08 एवं	सभी जिला यूनियनों के छात्रवृत्ति प्रकरणो के निराकरण हेतु समय-समय पर जीवन बीमा	(2) किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।

	2008-09 के छात्रवृत्ति प्रकरणो की निराकरण के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया ।	निगम के अधिकारियों से संघ द्वारा चर्चा की जाती है तथा पत्र लिखे जाते है ।	
	3. बोनस वितरण एवं छात्रवृत्ति वितरण के लिये बैंक द्वारा चेक बुक के लिये रूपये 2/- प्रति चेक लिये जाने के संबंध में समिति के स्थापना मद में प्रावधान का पत्र दिया गया ।	यह व्यवस्था बैंक की गाईड लाईन अनुसार निर्धारित है । इस संबंध में समिति स्थापना मद से भुगतान किया जा सकता है ।	(3) किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।
	4. फड़ मुंशियो की कार्य की अधिकता को देखते हुए जैसे जनश्री बीमा, छात्रवृत्ति प्रकरण, चरण पादुका वितरण, शाखकर्तन, खरीदी परिदान हेतु प्रतिमाह मानदेय 500 से 700 रूपये देने पर विचार ।	फड़मुशियों को कमीशन के अतिरिक्त चरण पादुका के नाप लेने व वितरण कार्य हेतु निर्धारित राशि दी जाती है । छात्रवृत्ति तथा बीमा का कार्य समिति प्रबंधक का है ।	(4) किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।
10	आमसभा में अनेक सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि संघ प्रतिनिधियों को जब कोई अधिकार/कर्तव्य/सुविधाएं नही है तो आमसभा में क्यों बुलाया जाता है तथा अधिकार/कर्तव्य एवं सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जावें । यह भी मुद्दा उठाया गया कि प्रतिनिधियों के समस्याओं का निराकरण किसी स्तर पर नही किया जाता ।	माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला वनोपज सहकारी संघ के सदस्य संघ के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आये हुए है । उन्हें अन्य सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों/संचालकों की भांति पात्रता अनुसार शासन की स्वीकृति से सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । शासन की सहमति के बिना किसी प्रकार की सुविधाएं दिया जाना संभव नही है, क्योंकि छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लिये शासन का अभिकर्ता है	किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।

		तथा अन्य कार्यों हेतु संघ की राशि शासन के बजट से ही उपलब्ध करायी जाती है । जहॉ तक नीतिगत निर्णयों का प्रश्न है, यह प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में शासन स्तर से ही लिये जाते हैं । छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालक मंडलों की बैठकों में यह देखा जाना चाहिए कि शासन के निर्णयों का क्रियान्वयन हो रहा है । प्रतिनिधियों के द्वारा मांग किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किये जाने का आश्वासन दिया गया ।	

अन्त में प्रबंध संचालक द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई ।

विषय क्रमांक - 2

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना :-

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **परिशिष्ट 'क'** में दर्शाई गई है ।

(ii) नए जिलों के गठन के फलस्वरूप जिला वनोपज सहकारी यूनियन का पुनर्गठन :-

नवीन जिलो के गठन के फलस्वरूप निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है -

क्रमांक	पुर्नगठित जिला यूनियन का नाम	कार्यक्षेत्र	रिमार्क
1	बालोद	वनमण्डल बालोद जिला - बालोद	जिला वनोपज सहकारी यूनियन दुर्ग का अस्तित्व समाप्त हो जावेगा ।
2	बलौदा-बाजार	वनमण्डल बलौदा-बाजार एवं रायपुर जिला - बालोद एवं रायपुर	जिला वनोपज सहकारी यूनियन रायपुर को बलौदा-बाजार में सम्मिलित किया जावेगा ।
3	गरियाबंद	वनमण्डल उदन्ती एवं पूर्व रायपुर तथा उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व का बफर जोन । जिला - गरियाबंद	पूर्व रायपुर एवं उदन्ती जिला यूनियन को समाप्त कर नवीन जिला वनोपज सहकारी यूनियन गरियाबंद का गठन किया जा रहा है ।
4	सूरजपुर	उत्तर सरगुजा एवं दक्षिण सरगुजा जिला यूनियन का आंशिक क्षेत्र शामिल होगा । जिला - सूरजपुर	-
5	बलरामपुर	उत्तर सरगुजा एवं पूर्वी सरगुजा जिला यूनियन का आंशिक क्षेत्र शामिल होगा । जिला - बलरामपुर	-
6	सरगुजा	दक्षिण सरगुजा एवं पूर्वी	-

		सरगुजा जिला यूनियन का आंशिक क्षेत्र । जिला - सरगुजा	

टीप :- (1) बेमेतरा व दुर्ग जिले में तेन्दूपत्ता उपलब्ध न होने के कारण जिला यूनियन गठित नही की जावेगी ।

(2) मुंगेली जिले में प्राथमिक वनोपज समितियों की संख्या कम होने के कारण मुंगेली जिले के कार्यक्षेत्र में शामिल वनोपज सहकारी समितियों को जिला वनोपज सहकारी यूनियन बिलासपुर में शामिल किया गया है ।

(3) प्रस्तावित 4 नवीन जिला वनोपज सहकारी यूनियन में आवश्यक भवनों के लिए निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(iii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना दिनांक 01.05.07 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के है, बीमित है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छैमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । वर्ष 2011-12 में वार्षिक प्रीमियम की राशि रूपये 2,97,04,261/- लाख भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर को भुगतान किया गया । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2011-12 में माह जनवरी 2012 तक कुल 5495 दावा प्रकरणों की दावा राशि रूपये 11.904 करोड़ स्वीकृत की गई है ।

शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में माह जनवरी 2012 तक कुल 74,876 छात्र-छात्राओं को रूपये 8.985 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है ।

(iv) सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना -

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता सग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 20,65,000 संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान

है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नही करना पडता है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में देय प्रीमियम की राशि रूपये 70,43,569 करोड़ का भुगतान संघ द्वारा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2011-12 का माह जनवरी 2012 तक कुल 1334 दावा प्रकरणों का निराकरण कर राशि रूपये 0.850 करोड़ का भुगतान संबंधित दावेदार को बीमा राशि का प्रदाय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया है ।

वर्ष 2011-12 से एक अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि 3.71 करोड़ का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया है । जिसके अंतर्गत् दुर्घटना में मृत्यु की दशा में पृथक से रूपये 4000/- का भुगतान हितग्राहियों को किया जा रहा है ।

(v) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चो हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत् :-

(क) <u>मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार</u> :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है । माह जनवरी 2012 तक कुल 3588 छात्र/छात्राओ को कुल राशि रूपये 86.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) <u>व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति</u> :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

(vi) तेन्दूपत्ते का व्यापार

वर्ष 2011 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण कराया गया । तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर 800/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 16.39 लाख मानक बोरा के विरूद्ध अच्छी गुणवत्ता का 13.57 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल में कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन में कमी हुई । अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 13.57 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रू.

355.31 करोड़ हैं । अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रू. 2619.24/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार अग्रिम विक्रय का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2012 में 900 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 932 लाटों में लगभग 16.399 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । उक्त तेन्दूपत्ता के अग्रिम में निवर्तन हेतु दिनांक 03.01.2012, 19.01.2012 एवं 01.02.2012 को निविदायें आमंत्रित की गई । उक्त तिथियों में प्राप्त निविदाओं में अनुमानित मात्रा 16.399 लाख मानक बोरा रू. 620.19 करोड़ में विक्रय किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रू. 3782/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई जो कि विगत वर्ष की तुलना में 44% अधिक है । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ग'** में संलग्न है ।

(vii) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2011 में संग्रहित होने वाले सालबीज अग्रिम निर्वर्तन में प्रदेश की 38 इकाईयों में 2.23 लाख क्विंटल सालबीज संग्रहण्र का अनुमान था, जिसमें से 31 इकाईयों की अनुमानित 2.15 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम में विक्रय हुआ था । अग्रिम विक्रय में सालबीज की औसत विक्रय दर रूपये 928/- प्रति क्विंटल रही थी । 7 इकाइयों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो सका था ।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में निर्वर्तित 31 इकाईयों में मात्र 0.387 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 3.72 करोड़ है । अविक्रित 7 इकाईयों में मात्र 429.09 क्विं. सालबीज का संग्रहण हुआ, जिसमें से 2 इकाईयों की 415.25 क्विंटल मात्रा का निर्वर्तन रुपये 0.02 करोड़ में किया गया । शेष 13.84 क्विं. सालबीज के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार सालबीज फसल कमजोर होने के कारण कुल 0.39 लाख क्विंटल सालबीज संग्रहित हुआ लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 'घ'** में संलग्न है ।

संग्रहण वर्ष 2011 के सालबीज संग्राहकों को रू. 500/- प्रति क्विंटल की दर से संग्रहण पारिश्रमिक एवं रु. 250/- प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया, जिससे कुल रूपये 2.94 करोड़ संग्राहकों को उपलब्ध कराये गये ।

(viii) हर्रा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में क्रेता द्वारा तथा अग्रिम में अविक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है ।

वर्ष 2010-11 में 11873.935 क्विंटल हर्रा, 1677.890 क्विंटल कचरिया एवं 39.300 क्विंटल बालहर्रा का संग्रहण किया गया है, समस्त हर्रा, कचरिया एवं बालहर्रा विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 0.98 करोड़ हैं ।

संग्रहण वर्ष 2011-12 में कुल 39 इकाईयों में से 21 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया गया । अग्रिम में निर्वर्तित इकाईयों एवं अनिर्वर्तित इकाईयों में हर्रा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । इस वर्ष हर्रा कर फसल बहुत अच्छी होने के कारण अनुमानित मात्रा 49 लाख क्विंटल से अधिक हर्रा संग्रहित होने का अनुमान है जिससे संग्राहकों को रु. 490.50 लाख संग्रहण पारिश्रमिक के रुप में प्राप्त होने का अनुमान है । वर्ष 2011-12 में हर्रा की संग्रहण दर रु 1000/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 2000/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्रा की रूपये 3500/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं । वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट 'ड़', एवं 'च'** में संलग्न प्रेषित है ।

(ix) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वृक्षों में पुनरूत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है । वर्ष 2010-11 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रू. 22000/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रू. 15000/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है । संग्रहण वर्ष 2010-11 में गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की प्रथम श्रेणी के 389.680 क्विंटल का संग्रहण किया गया, जिसका निर्वर्तन अग्रिम क्रेता नियुक्त कर कुल रू. 105.34 लाख में किया गया है । औसत विक्रय दर रू. 27033/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2011-12 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रू. 27000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 20000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की समस्त 5 इकाईयों में संगंहित होने वाली 760 क्विंटल कुल्लू गोंद का अग्रिम में निवर्तित किया गया हैं । वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज'** में संलग्न है । विगत वर्षों में सम्पूर्ण कुल्लू गोंद का अग्रिम निर्वतन होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तथा संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है ।

(x) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2010-11 हेतु गोंद वर्ग-2 की संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

1. खैर/बबूल - 1650/- प्रति क्विंटल
2. धावड़ा - 2750/- प्रति क्विंटल

वर्ष 2010-11 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 2 इकाइयों में 26.74 क्विंटल धावड़ा गोंद संग्रहण किया गया । जिसका निर्वर्तन रू. 1.78 लाख में अग्रिम क्रेता नियुक्त कर किया गया ।

संग्रहण वर्ष 2011-12 में कुल 21 इकाईयों में संग्रहित होने वाली 955 क्विंटल गोंद वर्ग दो मे से 5 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 310 क्विंटल का अग्रिम में निवर्तित किया गया, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 14.79 लाख है । गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । अग्रिम में निर्वर्तित एवं अनिर्वर्तित इकाईयों में गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ'** में संलग्न है ।

(xi) वर्ष 2009 एवं वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2009 में कुल 14.67 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 92.41 करोड़ 831 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा राशि रूपये 92.41 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई । संग्रहण वर्ष 2009 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण **परिशिष्ट 'ट-1'** में संलग्न हैं ।

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 में कुल 15.45 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से लाभ का विभाजन निम्नानुसार किया जावे :-

क. 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को ''प्रोत्साहन पारिश्रमिक'' के रूप में वितरित की जाये ।

ख. 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

ग. शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

उक्त निर्णय अनुसार वर्ष 2010 के तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 134.21 करोड़ 841 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य किया जा रहा है । संग्रहण वर्ष 2010 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण **परिशिष्ट 'ट-2'** में संलग्न हैं ।

(xii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं । वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रु. 76.46 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यो पर व्यय की गई राशि रु. 58.41 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ठ'** में संलग्न है ।

(xiii) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं । इस योजना के तहत वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण ।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों में बांस रोपण ।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हैरा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 55.47 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार 32.38 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ड'** में संलग्न है ।

(xiv) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से किया जा रहा हैं । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की

बचत तो हुई ही हैं, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ हैं । संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों में पदस्थ नव नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड - 3 को फरवरी-मार्च 2012 में Tally ERP 9 का प्रशिक्षण दिलाया गया, ताकि जिला यूनियन का लेखा Tally ERP 9 के माध्यम से संधारित की जा सके । संघ के वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ का लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं ।

(xv) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं । उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(xvi) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है । यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के खातों में उपलब्ध है । इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों में कोर बैंकिग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते मे राशि सीधे जमा कराई जा रही हैं ।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिये भारतीय स्टेट बैंक की मंत्रालय शाखा में प्रचलित खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए संघ द्वारा सभी जिला यूनियनों को धनादेश पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(xvii) चरणपादुका का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष के भांति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल वितरित करने का निर्णय लिया गया था । फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में 11.45 लाख जोड़ी चप्पलें रूपये 125/- प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की जा रही है, जिला

यूनियनवार उपलब्ध कराई गई चरणपादुका की क्रय एवं वितरण की जानकारी **परिशिष्ट-ढ'** में संलग्न है । इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 10.00 करोड़ की राशि वर्ष 2010-11 में तथा रुपये 8.10 करोड़ की राशि वर्ष 2011-12 में संघ को उपलब्ध करायी गयी थी ।

वर्ष 2012 में भी गतवर्ष की भॉति प्रदेश के लगभग 11.60 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, छत्तीसगढ़ शासन को रूपये 15.50 करोड़ की राशि संघ को उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया ।

उक्त चरणपादुका क्रय हेतु संघ कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक /शूज/2012/I दिनांक 02.01.2012 द्वारा चरणपादुका क्रय हेतु जारी कर दिनांक 06.02.2012 तक E-Tender के माध्यम से निविदाऍ आमंत्रित की गई थी ।

निविदाओं पर शीघ्र निर्णय लेकर क्रय आदेश जारी किये जावेंगे । क्रय की जाने वाली चरणपादुकाओं का वितरण वर्ष 2012 में किया जावेगा ।

(xviii) तेन्दूपत्ता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि ।

विभिन्न विभागों के अधिकारीं/कर्मचारी जो अपने कार्य के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्रहण/भण्डारण कार्य संपादित करते है, को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है -

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी	राशि
1.	जोनल अधिकारी	2400/-
2.	परिक्षेत्र अधिकारी, पोषक अधिकारी, फड़ अभिरक्षक (प्रत्येक फड़ हेतु केवल एक) गोदाम प्रभारी एवं गोदाम पर कार्य करने वाले कर्मचारी, तेंदूपत्ता परिवहन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी/वनसंरक्षक के स्टेनोग्राफर, प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय/वनमंडल कार्यालय एवं वन संरक्षक कार्यालय में तेन्दूपत्ता शाखा में पदस्थ लिपिकीय अमला ।	2000/-
3.	वन संरक्षक, प्रबंध संचालक एवं जोनल अधिकारियों के वाहन चालक एवं अन्य वाहन चालक, परिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत लिपिक ।	1000/-

उन समितियों के फड़ अभिरक्षक, पोषक अधिकारी एवं जोनल अधिकारी को उपरोक्तानुसार दर्शाई राशि का 75 प्रतिशत ही देय होता है, जिनका पत्ता संग्रहण से पूर्व अग्रिम में विक्रय होकर क्रेता नियुक्त हो चुका है ।

अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समीक्षाकर संबंधित का कार्य संतोष जनक होने पर भुगतान किया जाता है ।

(xix) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत् बीमा वर्ष 2009-10 से क़राया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की सामान्य मृत्यु पर रूपये 25,000/- पर तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रूपये 50,000/- उसके आश्रित को उपलब्ध हो सके । प्रबंधको की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है ।

वर्ष 2011-12 में 868 समिति प्रबंधको का बीमा जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजनान्तर्गत् कराया गया था । वर्ष 2012-13 के लिये समूह बीमा के नवीनीकरण हेतु समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों से सम्बद्ध प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधको की सूची प्राप्त की जा रही है ।

(xx) जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के संचालक सदस्यों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षो का सहकारिता अंतर्गत् प्रशिक्षण

जिला यूनियन के संचालक सदस्यों को सहकारिता के अंतर्गत् अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षको द्वारा विभिन्न चरणो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । गत् वर्ष दिनांक 17.01.2011 से 21.01.2011 तक पॉच दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन महासमुन्द, जगदलपुर, सरगुजा एवं बिलासपुर में आयोजित किया गया । सरगुजा एवं बिलासपुर प्रशिक्षण सत्रो में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या संतोषजनक रही ।

इसी वर्ष में प्राथमिक वनेापज सहकारी समितियों के अध्यक्षेा का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र दिनांक 12.10.2011 से 14.10.2011 एवं 17.10.2011 से 19.10.2011 तक रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में एक साथ आयोजित किया गया । इन आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में 300 के विरूद्ध 218 प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज हुई । उपस्थिति का प्रतिशत 72.6 प्रतिशत रहा । इस उपस्थिति को देखते हुये संघ के संचालक मण्डल में लिये निर्णय अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षो के साथ-साथ उपाध्यक्षो (जो कि प्रायः महिला वर्ग से है) उन्हे भी सहकारी प्रशिक्षण पॉच चक्रो में क्रमशः जगदलपुर, रायपुर व बिलासपुर में दिया जा रहा है । यह प्रशिक्षण सत्र 13.02.2012 से प्रारंभ होकर 14.03. 2012 तक आयोजित होगें । इन प्रशिक्षण शिविरो में प्राथमिक समितियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों सहित कुल 750 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण लिया जाना है ।

इन प्रशिक्षण सत्रों में राज्य सहकारी संघ द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रत्येक सत्र में दो ब्याख्यान वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है ।

(xxi) सहकारिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन :-

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2012 को सहकारिता अंतराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है । सहकार भारती और मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में सहकारिता पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 09 एवं 10 फरवरी 2012 को भोपाल में किया गया ।

इस अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर भी सह-आयोजक रहा है । अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में संघ के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित संचालको द्वारा उपस्थिति दी गई ।

(xxii) छत्तीसगढ़ राज्य की श्रम सहकारी एवं वन सहकारी समितियो के कार्यालय पदाधिकारियों हेतु नेतृत्व विकास संबंधी कार्यक्रम ।

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली एवं सहकारी प्रबंध संस्थान भोपाल के सहयोग से दिनांक 12-14 अक्टूबर 2011 तक म.प्र./छ.ग. राज्यों के सहकारी संस्थाओं के निर्देशको हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम सहकारी प्रबंध संस्थान, भोपाल में आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संघ से संबंद्ध 4 जिला यूनियनों के उपाध्यक्षों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई ।

(xxiii) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से प्रवत्त हो गया है । इस नियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त किये गये है ।

वन विभाग, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ एवं उससे संबंद्ध जिला यूनियनों व प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् सेवा प्रदाय करने की अवधि, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी के पदनाम अधिसूचित किये गये है । इस अधिनियम में तेन्दूपत्ता संग्राहको की समूह बीमा योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना तथा उससे जुड़ी छात्रवृत्ति, तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण, तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक वितरण एवं चरणपादुका वितरण आदि के कार्यो की समय-सीमा निर्धारित की गई है ।

संघ मुख्यालय द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को अधिनियम की प्रति भेजते हुये अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना के मुख्य-मुख्य प्रावधानो से समिति प्रबंधको को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करने संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके है ।

(xxiv) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में संघ मुख्यालय द्वारा मुख्यालय स्तर, समस्त वनवृत्त एवं समस्त जिला यूनियनों के लिये अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है तथा संघ कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी संघ की वेब-साईट में अपलोड की जा चुकी है ।

वर्ष 2011 में सूचना के अधिकार अंतर्गत् संघ मुख्यालय स्तर पर प्राप्त 59 आवेदन पत्रों का निराकरण कर वांछित जानकारी आवेदको को उपलब्ध करायी गई ।

(xxv) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान हर्बल राज्य के रूप में भी की जाती है । वन क्षेत्रों में अकाष्ठीय वनोपज की प्रचुरता को ध्यान में रखकर उनके संवर्धन तथा विकास हेतु **"लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना"** की जा रही है । इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतः स्थलीय संवर्धन एवं प्रसंस्करण के प्रशिक्षण तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य संपादित कर वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर देते हुये सुनिश्चित किये जा रहे हैं । लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिये राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान द्वारा 2000 हेक्टेयर में 02 तथा संघ मद से प्राप्त राशि द्वारा 17000 हेक्टेयर में 17 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है । विगत दो वर्षों में उपरोक्त मदों से प्राप्त राशि द्वारा 33711 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे हैं । परियोजना के लिये आदिवासी क्षेत्र उपयोजना तथा संघ मद से वर्ष 2011-12 के लिये क्रमशः राशि रूपये 120.10 लाख तथा रूपये 277.00 लाख प्राप्त हुआ है ।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज संग्रहण करने हेतु बाजार मांग एवं उपलब्धता को देखते हुए अधिक बाजार मांग वाली प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से इनका क्रय हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । स्व सहायता समूह कच्चे लघु वनोपज क्रय करने पश्चात् स्थानीय बाजार अथवा नजदीकी NWFP मार्ट में उसका विक्रय करते हैं । लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन पद्धति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है ।

2.1.1. अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षो की तेन्दूपत्ते की आय से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज

जैसे इमली, महुआ, चिरौंजी आदि का क्रय विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जावे । इस हेतु वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रू. 55.90 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है । स्व सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय विक्रय कर आय अर्जित कर सकते है । स्व-सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को रूपये 2000/- तक का ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा । वनोपज के क्रय विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व सहायता समूहों को ही है ।

2.2 लाख विकास

प्रदेश में ग्रामीणों/वनवासियों द्वारा कम श्रम साध्य कार्य होने के फलस्वरूप परंपरागत रूप से कुसुम, बेर तथा पलाश के वृक्षों पर लाख पालन का कार्य किया जाता है । वर्ष 2011-12 में लाख विकास योजना मद में प्रावधानित राशि रूपये 127.26 लाख से जिला यूनियन दक्षिण सरगुजा, पूर्वी सरगुजा, कोरिया, जगलदपुर, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर तथा उदंती में 09 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राईजेस की स्थापना कर कार्य संचालन किया जा रहा है ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्यों के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिये लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस की 26 परियोजनायें जिला यूनियनों में संचालित की जा रहीं हैं । परियोजना अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक लगभग 13204 हितग्राहियों को योजना के तहत लाख की खेती के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है । संपूर्ण परियोजना के लिये केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रूपये 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2011-12 के लिये स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रूपये 748.91 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, यूरोपियन कमीशना योजना, लाख विकास योजना तथा ट्रायफेड के माध्यम से स्थापित किये गये कुल 73 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राईजेस की परियोजनायें संचालित की जा रही है । लाख पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के उददेश्य से लाख पालन एवं इसकी क्रियाविधि की जानकारी देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में विडियों फिल्म तैयार की जाकर जिला यूनियनों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायी जा रही हैं ।

वर्ष 2010-11 हेतु लाख पालन में प्रगतिशील कृषक श्री मनीराम पोयाल, जगदलपुर को **''उत्कृष्ठ लाख पालक कृषक''** तथा श्रीमती सोनल शर्मा सीनियर एक्सीक्यूटिव, वनोपज संघ, रायपुर को **''उत्कृष्ठ लाख सीनियर एक्सीक्यूटिव''** का पुरस्कार भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (IINRG) रांची द्वारा दिनांक 13.02.2012 को प्रदान किया गया है ।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

प्रदेश में माहुल पत्ता का उत्पादन बहुतायत में होता है । विगत वर्षों में संग्रहित माहुल पत्ता को सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण वनवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था । अतः माहुल पत्ता से संग्राहक स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु 20 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है । इन इकाईयों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा माहुल पत्ता का उपचार कर मशीन द्वारा दोना-पत्तल का निर्माण किया जा रहा है ।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है । शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में संग्राहकों से सीधे शहद क्रय किया जाता है । संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है । छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड शहद की बाजार मांग काफी अधिक है ।

2.5 इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

प्रदेश के बस्तर संभाग में उच्च गुणवत्तायुक्त इमली का उत्पादन बहुतायात में होता है । जिला यूनियन दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर एवं भानुप्रतापपुर क्षेत्र में स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इमली का क्रय किया जाता है । इनका प्रसंस्करण जैसे चपाति, ब्रिक्स, कैंडी आदि का निर्माण स्थापित प्रसंस्करण केन्द्रों में किया जाता है । अतिरिक्त इमली का भंडारण जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा स्थित शीतगृहों में किया जाता है ।

2.6 वनौषधि निर्माण

प्रदेश के कटघोरा, मरवाही, बिलासपुर, जगदलपुर तथा पूर्व रायपुर जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में तैयार किये जा रहे विभिन्न हर्बल उत्पादों को संजीवनी तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा हैं । वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 72 हर्बल उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं । इन उत्पादों की उत्पादन से बजार मांग अधिक है । इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यवाही जारी है । जशपुर, नारायणपुर, धमतरी तथा उत्तर सरगुजा जि.यू. में वनौषधि निर्माण केन्द्र का लाइसेंस प्राप्ति एवं स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं ।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक / स्व-सहायता समूह/ वन समिति/ प्राथमिक

वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है । इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का थोक या रिटेल विक्रय किया जा रहा है । हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न माध्यम जैसे - इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, एस.एम.एस., होर्डिंग्स, ब्रोशर तथा पैम्पलेट्स आदि द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एवं जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । इन मार्ट्स की दिसंबर 2011 (वित्तीय वर्ष 2011-12) तक क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्ष	**क्रय मूल्य (रू. लाख में)**	**विक्रय मूल्य (रू. लाख में)**
2011-12 (दिसंबर 2011 तक)	86.72	118.30

- हर्बल उत्पादों के बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न जिला यूनियनों के स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों के विक्रय में वृद्धि के लिये पैकेजिंग तथा लेबल डिजाइनिंग हेतु संघ मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही की गई है ।

- राज्य में हर्बल उत्पादों का थोक एवं रिटेल विक्रय बढ़ाने हेतु नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्थानों में कुल 06 मार्ट एवं 43 संजीवनी स्थापित किए गए है ।

क्र.	**वृत्त का नाम**	**संजीवनी का स्तर**			
		मार्ट स्तर पर	**जिला यूनियन स्तर पर**	**परिक्षेत्र/विकासखंड स्तर पर**	**कुल**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	रायपुर	1	2	8	11
2.	बिलासपुर	1	5	4	10
3.	दुर्ग	1	2	4	7
4.	कांकेर	1	4	0	5
5.	सरगुजा	1	3	2	6
6.	जगदलपुर	1	3	0	4
	योग	**6**	**17**	**20**	**43**

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत रू. 21.20 करोड़ है । यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई है तथा मार्च 2013 में समाप्त होगी । योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि रू. 2120.64 लाख प्राप्त हुई है ।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है । परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है ।

I. परियोजना का घटकवार विवरण

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर

(1.1) संसाधन सर्वेक्षण - परियोजना अंतर्गत राज्य के वनक्षेत्र में कुल 4912 सेम्पल प्लाट में लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये है । प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एफ.एस.आई. देहरादून के द्वारा तैयार किए डाटा एनालिसिस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है, जो अंतिम चरण पर है ।

(1.2) हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - प्रदेश के हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्यों के साक्षात्कार से 3401 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया । पूरे प्रदेश में कुल 50 वनौषधालयों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा हैं, जिसमें से 29 वनौषधालय की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है । वनौषधालय की स्थापना एवं संचालन हेतु अब तक कुल राशि रू.176.27 लाख विमुक्त किया गया है । चयनित परंपरागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु रू. 10000 का चक्रीय राशि एवं रू.100 प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदाय किया जा रहा है । उपयोगी पाए गए 9 परंपरागत वनौषधियों को अनुसंधान हेतु केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिध्द अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भेजा गया है जिसमें से प्रथम चरण में 4 वनौषधियों को अनुसंधान हेतु चयन किया गया है । उपयुक्त पाए जाने पर इन औषधियों का व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकेगा ।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है । इस घटक के अंतर्गत माइक्रोइन्टरप्राइज को चार

वर्गों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक वर्ग में किये जा रहे मुख्य कार्य एवं चयनित मुख्य लघु वनोपज संक्षेप में नीचे दर्शाये गए हैं ।

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	मा.ई. की संख्या	स्वीकृत कुल राशि (रू. लाख में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	293.88
		शहद संग्रहण	4	35.00
2.2	लघ वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	94.60
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	81.00
		वनोषधि	7	100.00
		तैलीय बीज	3	60.00
		माहुल पत्ता	10	200.00
		चिरौंजी	3	44.63
		आंवला	3	30.00
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	1	31.17
	काजू प्रसंस्करण	क्लस्टर लेवल	3	45.30
		काजू संग्रहण	1	39.00
		सेंट्रल लेवल	1	21.279
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	19	49.00
		योगः-	**93**	**1144.85**

उपरोक्त माइक्रोइंटरप्राइजेस के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकि परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए माइक्रोइंटरप्राइजेस का लाभ ले सकें ।

प्रसंस्कृत वनोपज एवं उत्पादों का विपणन

छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड के प्रसंस्कृत हर्बल उत्पाद एवं औषधियों का प्रचार प्रसार हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मेलों में स्टाल्स लगाये गये ।इन प्रदर्शनी /मेलों में छत्तीसगढ़

हर्बल्स ब्रांड उत्पादों को अच्छा प्रतिसाद मिला है । इस वर्ष निम्नानुसार प्रदर्शनी /मेलों में लघु वनोपज संघ द्वारा स्टाल लगाये गये हैं :-

क्र.	प्रदर्शनी / मेला का नाम	स्थान	विक्रय राशि (लाख में)
1.	दिल्ली ग्रीन हाट मेला, 2011	दिल्ली	0.12
2.	राज्योत्सव, रायपुर	रायपुर	0.91
3.	IIFT दिल्ली मेला 2011	दिल्ली	1.98
4.	भोपाल वन मेला 2011 (इंटरनेशनल हर्बल फेयर)	भोपाल	0.48
5.	कास्मो मेला, रायपुर	रायपुर	0.10
6.	खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शनी, रायपुर 2012	रायपुर	0.19
7.	राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला 2012	रायपुर	0.14
	योग :-		**3.92**

3. विपणन :- माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में ''संजीवनी'' के 11 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र भवन निर्माण किया गया है । इसके लिये राशि रू. 42.30 लाख उपलब्ध करायी गयी है । हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के उददेश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्तों में विकासखंड / परिक्षेत्र स्तर पर 20 संजीवनी की स्थापना की गई है (लागत रू. 1 लाख प्रति संजीवनी) । निर्मित उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता प्रदान के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी स्व सहायता समूहों को दिया गया है । आम जनता की सुविधा हेतु रायपुर NWFP मार्ट में आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है ।

3.1 बाजार सर्वेक्षण एवं अध्ययन :- अकाष्ठीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु ''इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली'' से अध्ययन कराया गया है । उक्त अध्ययन इमली, शहद, बेल, आंवला, चरौटा, हर्रा, बहेड़ा, धावड़ा गोंद, बबूल गोंद, कुल्लू, साल तेल एवं लाख उत्पादों के निर्यात संभावना ज्ञात किये जाने हेतु किया गया है । छत्तीसगढ़ में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन हेतु तथा लाख आधारित उत्पादों का बाजार सर्वेक्षण का कार्य भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (IINRG) रांची द्वारा कराया गया है । इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किये जाने हेतु ''दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल'' से अध्ययन कराया गया है ।

4. अनुसंधान एवं विस्तार - कच्चे लघु वनोपज की 50 लघु वन उपज प्रजातियों की विनाश विहीन विदोहन तथा गुणवत्ता सुधार विधियों का निर्धारण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों की सहायता से किया गया है । सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से कैण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर जगदलपुर में इमली कैन्डी प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है । सी.एफ.टी.आर. आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल, बेल एवं तिखुर से नए उत्पाद जैसे आर.टी.एस., बेवरेज ड्राई मिक्स एवं कंजर्व (हर्बल खाद्य डाई), बेल मुरब्बा, स्प्रेड एवं आर.टी.एस. तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य कराया जा चुका है । वर्तमान में उक्त तकनीक से बेल तथा आंवला उत्पाद के निर्माण ''हर्बल खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र, बरौंडा'', रायपुर में किये जा रहे हैं ।

भारत शासन के उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर से निम्नानुसार अनुसन्धान कार्य कराये जा रहे हैं-

1. छ.ग. राज्य में साल बीज के संग्रहण से प्राकृतिक पुर्नत्पादन पर पड़ने वाल प्रभावों का आंकलन ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता की गुणवत्ता एवं सतत् उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीक का मानकीकरण ।
3. अर्जुन छाल की सतत् विदोहन पद्धति का मानकीकरण ।
4. भुई-आंवला, सालपर्णी एवं बेचांदी हेतु सतत् विदोहन पद्धति का मानकीकरण ।
5. बेल फल का प्रसंस्करण तकनीक का विकास ।
6. माहुलपत्ता का कृत्रिम पुनरोत्पादन के लिए तकनीक का विकास ।

इन अुनसंधानों का प्रतिवेदन शीघ्र अपेक्षित है ।

5. सूचना प्रबंधन प्रणाली - इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त, 32 जिला यूनियनों, 6 NWFP मार्ट तथा 4 शहद प्रसंस्करण केन्द्र के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो । इससे तहत 6 NWFP मार्ट तथा 2 शहद प्रसंस्करण

केन्द्र बिलासपुर एवं जशपुर को कम्प्यूटर, इंटरनेट व टैली साफ्टवेयर की सुविधा दी गई है । इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों को लेखा तैयार करने हेतु टैली Software क्रय कर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे लेखांकन कार्यों में गति आवेगी । साथ ही कार्यालयीन अमला एवं सीनियर तथा जूनियर एक्सीक्यूटिव्स को टैली एकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया गया है ।

6. प्रमाणीकरण - इस घटक के अंतर्गत सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी) रायपुर के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है । इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं । आज पर्यन्त तक वन एवं कृषि उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु 18 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को चयनित कर कार्यवाही किया गया है ।

7. क्षमता विकास - अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति तथा स्व सहायता समूहो का क्षमता विकास करना आवश्यक है । इसके लिये राज्य की 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में से उपयुक्त संसाधन एवं क्षमता के आधार पर 200 समितियों को चिन्हांकित कर, क्षमता विकास कार्य किये गये हैं । साथ ही वन कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु प्रयास किये गये हैं । वर्तमान में इसके अंतर्गत संघ के अधिकारी एवं कर्मचारियों का भ्रमण तकनीकी संस्थान सी. एफ.टी.आर.आई., मैसूर, टेम्पकॉल चेन्नई तथा हिमालया कंपनी, बैंगलोर में कराया गया है । इसके अतिरिक्त संघ के तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को वैद्यनाथ फार्मेसी, नागपुर तथा यूनीज्यूल्स फार्मेसी, नागपुर का अध्ययन प्रवास कराया गया है । साथ ही राज्य स्तर पर वन अधिकारियों की बैठक, संसाधन सर्वेक्षण संबंधित विशेषज्ञों की बैठक तथा कच्चे लघु वनोपज विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण तथा प्रसंस्करण पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आयोजित कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, चिरौंजी प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है तथा प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है । भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल के सहायोग से महुआ संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया है । Livelihood Basics School, Bhopal के द्वारा व्यापार की योजना एवं माइक्रोइंटरप्राईजेस प्रबंधन विषय पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया है तथा मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से समस्त माइक्रोइंटरप्राईजेस एवं संजीवनी के स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है । ग्रासरूट संस्थान नई दिल्ली के द्वारा अभिलेखन विषय पर 15 सीनियर एक्सीक्यूटिव को प्रशिक्षण दिया गया है । Baif पूणे के सहयोग से उद्योग एवं वित्त प्रबंधन विषय पर सीनियर एक्सीक्यूटिव को मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया तथा इन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से समस्त माइक्रोइंटरप्राईजेस एवं संजीवनी के स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है । Baif पूणे के द्वारा प्रोग्राम, प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग विषय पर उप प्रबंध संचालक एवं सीनियर एक्सीक्यूटिव को वलसाड (दक्षिण गुजरात) में प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें काजू प्रसंस्करण इकाई क्षेत्र का भ्रमण कराया गया है ।

परियोजना अंतर्गत कुल 8 सेमिनार / कार्यशाला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेंशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन द्वारा संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, एकाउंटिंग प्रोसेस, एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेंशन प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ.पी. विषयों पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 458 स्टॉफ एवं रिसोर्स पर्सन द्वारा भाग लिया गया है । परियोजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में कुल 12837 हितग्राहियों एवं 4180 स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया गया ।

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (जनवरी 2012 की स्थिति में)

क्र	घटक	प्राप्त राशि (रू लाख में)	व्यय राशि(रू लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	279.20	**192.52**
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1225.54	**807.14**
3	विपणन	235.70	**166.04**
4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	**60.94**
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	117.80	**99.67**
6	प्रमाणीकरण	50.40	**14.07**
7	क्षमता विकास	117.80	**71.04**
	योग	**2120.64**	**1411.42**

यूरोपियन कमीशन परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में किए गए व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण कराया गया है ।

8. यू.एन.डी.पी. व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन प्रायोजित, प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन से जैव विविधता संरक्षण

राज्य के कटघोरा वनमण्डल में 3063.224 हेक्टेयर जगदलपुर वनमण्डल में 3094. 165 हेक्टेयर एवं उत्तर कोंडागांव वनमण्डल में 3207.264 हेक्टेयर के मान से कुल 9364. 653 हेक्टेयर जैव विविधता से समृद्ध चयनित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन व संरक्षण पर आधारित रोजगार सृजन करने हेतु रू. **250** लाख की लागत से तीन वर्षीय परियोजना यू.एन.डी.पी. द्वारा स्वीकृत की गयी है, जो कि भारत

शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2010-11 में अंतः स्थलीय संरक्षण क्षेत्र में कटघोरा वनमण्डल में 3044.070 हेक्टेयर जगदलपुर वनमण्डल में 3800.901 हेक्टेयर एवं उत्तर कोण्डागांव वनमण्डल में 3031.660 हेक्टेयर के मान से कुल 9876.631 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि की गयी है इस प्रकार कुल 19241.284 हेक्टेयर क्षेत्रफल अन्तःस्थलीय संरक्षण हेतु चयनित की गयी है । वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में राशि रू. **241.53** लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरूद्ध अब तक कुल रू. **212.05385** लाख की राशि व्यय करते हुये संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनौषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता विकास, अनुसंधान एवं विस्तार, जैविक प्रमाणीकरण, लघुवनोपज आधारित गतिविधियों के अंर्तगत लाख पालन, इमली, चिरौंजी व माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्वसहायता समूहों एवं वन प्रबंधन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये हैं ।

परिशिष्ट - क

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
5	उप वन संरक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	3	3	31	26	5	39	30	9
10	वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	15	1	14	15	1	14
11	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	200	42	158	200	42	158
12	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित)	7	5	2	6	6	0	32	30	2	45	41	4
17	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
19	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	लेखा अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	वरिष्ठ लेखापाल	5	3	2	0	0	0	0	0	0	5	3	2
25	लेखापाल	4	1	3	6	5	1	22	15	7	32	21	11
26	कनिष्ट लेखापाल	6	5	1	0	0	0	13	12	1	19	17	2
27	सहायक वर्ग-3	9	7	2	6	6	0	45	44	1	60	57	3
28	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	वाहन चालक	6	5	1	0	2	-2	6	5	1	12	12	0
30	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	संदेशवाहक	12	11	1	12	12	0	86	81	5	110	104	6
32	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	**77**	**61**	**16**	**36**	**34**	**2**	**450**	**256**	**194**	**563**	**351**	**212**

टीप :- कनिष्ठ लेखापाल के रिक्त पदों के विरूद्ध 12 सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति की गई ।

परिशिष्ट - 'ख'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2011

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	42351.264	142399572.05	3362.35
सुकमा	41	80492.596	189280493.07	2351.53
दंतेवाड़ा	13	29451.140	67516678.50	2292.50
जगदलपुर	15	23109.910	47765240.81	2066.87
दक्षिण कोंडागांव	11	19570.170	42948668.99	2194.60
उत्तर कोंडागांव	16	27086.366	60860381.10	2246.90
नारायणपुर	12	21084.840	47012798.26	2229.70
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	95485.280	289424803.43	3031.09
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	75843.040	179021286.46	2360.42
कांकेर	24	39394.235	112424439.33	2853.83
राजनांदगांव	51	78449.099	206357094.45	2630.46
खैरागढ़	24	33028.015	75813749.81	2295.44
दुर्ग	18	23440.190	61842521.50	2638.31
कवर्धा	24	33196.440	78207584.26	2355.90
धमतरी	23	23836.250	65823845.00	2761.50
उदन्ती	19	20340.215	59400037.18	2920.32
पूर्व रायपुर	43	42769.135	141942117.92	3318.80
महासमुंद	69	84387.620	228579605.26	2708.69
रायपुर	16	21258.325	56759460.99	2669.99
बिलासपुर	16	20540.190	50017943.50	2435.13
मरवाही	19	22904.858	60404068.97	2637.17
जांजगीर-चांपा	7	6124.860	11177940.06	1825.01
रायगढ़	41	56346.825	143807938.09	2552.19
धरमजयगढ़	53	69458.530	207048950.97	2980.90
कोरबा	34	48470.129	146165916.09	3015.59
कटघोरा	39	61317.020	185320075.41	3022.33
जशपुर नगर	20	30506.920	71679458.56	2349.61
मनेन्द्रगढ़	20	28074.645	74576342.83	2656.36
कोरिया	16	23716.490	62281223.26	2626.07
दक्षिण सरगुजा	28	45596.305	111806636.13	2452.10
पूर्व सरगुजा	29	44947.518	93698015.89	2084.61
उत्तर सरगुजा	52	83961.135	181737502.08	2164.54
कुल योग	931	1356539.555	3553102390.21	2619.24

परिशिष्ट - 'ग'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2012

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	29	45400.000	29	45400.000	227698900.00	5015.39
सुकमा	41	77900.000	41	77900.000	281003000.00	3607.23
दंतेवाड़ा	13	23500.000	13	23500.000	73053400.00	3108.66
जगदलपुर	15	25500.000	15	25500.000	75023200.00	2942.09
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	11	21600.000	70645700.00	3270.63
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	16	29400.000	94249100.00	3205.75
नारायणपुर	12	21400.000	12	21400.000	72284900.00	3377.80
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	99700.000	55	99700.000	436099100.00	4374.11
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	55	84300.000	282351000.00	3349.36
कांकेर	24	41100.000	24	41100.000	165097400.00	4016.97
राजनांदगांव	51	87200.000	51	87200.000	322794600.00	3701.77
खैरागढ़	24	44900.000	24	44900.000	149965500.00	3339.99
दुर्ग	18	28800.000	18	28800.000	109926500.00	3816.89
कवर्धा	24	44400.000	24	44400.000	157367100.00	3544.30
धमतरी	23	32900.000	23	32900.000	130453000.00	3965.14
उदन्ती	19	24900.000	19	24900.000	104261200.00	4187.20
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	65500.000	296957900.00	4533.71
महासमुंद	69	101700.000	69	101700.000	383662800.00	3772.50
रायपुर	16	26900.000	16	26900.000	103826400.00	3859.72
बिलासपुर	16	24700.000	16	24700.000	87493300.00	3542.24
मरवाही	19	29300.000	19	29300.000	116678100.00	3982.19
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	7	10000.000	26810200.00	2681.02
रायगढ़	41	63900.000	41	63900.000	239381300.00	3746.19
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	84000.000	355586700.00	4233.18
कोरबा	34	54600.000	34	54600.000	233603800.00	4278.46
कटघोरा	39	78700.000	39	78700.000	337049200.00	4282.71
जशपुर नगर	20	36600.000	20	36600.000	133009200.00	3634.13
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	20	37300.000	140433700.00	3764.98
कोरिया	16	29400.000	16	29400.000	117250600.00	3988.12
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	28	67100.000	245792700.00	3663.08
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	29	71700.000	225246600.00	3141.51
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	52	125600.000	406825700.00	3239.06
कुल योग	932	1639900.000	932	1639900.000	6201881800.00	3781.87

परिशिष्ट - 'घ'

सालबीज संग्रहण वर्ष 2011 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय हेतु शेष मात्रा (क्विंटल में)
कोरिया	1	कोरिया	2000.000	769.300	769.300	0.00
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	5000.000	0.000	0.000	0.00
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	10000.000	475.250	475.250	0.00
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	15000.000	7934.240	7934.240	0.00
दक्षिण सरगुजा	5	दक्षिण सरगुजा	12500.000	4543.500	4543.500	0.00
जशपुरनगर	6	अपरघाट	40000.000	7305.640	7305.640	0.00
जशपुरनगर	7	लोअरघाट	12000.000	1340.405	1340.405	0.00
कोरबा	8	कोरबा	500.000	0.000	0.000	0.00
रायगढ़	9	रायगढ़	500.000	0.000	0.000	0.00
धर्मजयगढ़	10	धर्मजयगढ़	3000.000	112.370	112.370	0.00
कटघोरा	11	कटघोरा	5000.000	0.000	0.000	0.00
बिलासपुर	12	बिलासपुर	800.000	0.000	0.000	0.00
मरवाही	13	मरवाही	6000.000	0.000	0.000	0.00
कांकेर	14	कांकेर	3000.000	174.620	174.620	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	1000.000	555.250	555.250	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमाबेड़ा	2000.000	0.000	0.000	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीबेड़ा	200.000	13.840	0.000	13.84
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	10000.000	1686.930	1686.930	0.00
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	5000.000	1358.630	1358.630	0.00
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	5000.000	349.020	349.020	0.00
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़ेडोंगर	5000.000	189.200	189.200	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	22	माकड़ी	5000.000	1802.800	1802.800	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	4000.000	1232.880	1232.880	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	24	मुलमुला	4000.000	796.120	796.120	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	25	मर्दापाल	2000.000	105.550	105.550	0.00
नारायणपुर	26	नारायणपुर	3000.000	1725.200	1725.200	0.00
दंतेवाडा	27	दंतेवाडा	500.000	0.000	0.000	0.00
जगदलपुर	28	बकावंड	10000.000	1345.850	1345.850	0.00
जगदलपुर	29	कर्पावंड	10000.000	786.370	786.370	0.00
जगदलपुर	30	जगदलपुर	7500.000	61.500	61.500	0.00
जगदलपुर	31	भनपुरी	15000.000	1900.770	1900.770	0.00
सुकमा	32	सुकमा	1000.000	415.250	415.250	0.00
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.000	337.610	337.610	0.00
उदन्ती	34	उदन्ती	3000.000	239.550	239.550	0.00
महासमुन्द	35	महासमुन्द	100.000	0.000	0.000	0.00
रायपुर	36	रायपुर	100.000	0.000	0.000	0.00
धमतरी	37	धमतरी	4000.000	413.600	413.600	0.00
कवर्धा	38	कवर्धा	2500.000	1193.800	1193.800	0.00
योग			223200.00	39165.045	39151.205	13.840

परिशिष्ट - 'ड़'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2010-11 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			हर्रा (क्विंटल में)	कचरिया (क्विंटल में)	बालहर्रा (क्विंटल में)	कुल हर्रा (क्विंटल में)					
कांकेर	1	कांकेर	700.000	0.000	0.000	700.000	653.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	457100.00	318500.00
कांकेर	2	नरहरपुर	1000.000	500.000	0.000	2250.000	628.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	1413000.00	1023750.00
कांकेर	3	सरोना	160.250	0.000	0.000	160.250	704.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	112816.00	72913.75
कांकेर	4	कोरर	237.500	0.000	0.000	237.500	700.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	166250.00	108062.50
कांकेर	5	चरामा	935.000	175.000	0.000	1372.500	663.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	909967.50	624487.50
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	87.360	0.000	0.000	87.360	555.00	अग्रिम	मेसर्स भारत राइस इण्डस्ट्रीज	48484.80	39748.80
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	918.590	0.000	0.000	918.590	639.00	अग्रिम	मेसर्स सौरभ मार्केटिंग	586979.01	417958.45
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	0.00	0.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	200.650	0.000	0.000	200.650	575.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	115373.75	91295.75
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	67.800	0.000	0.000	67.800	605.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	41019.00	30849.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	533.000	0.000	0.000	533.000	600.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	319800.00	242515.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	585.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	0.000	0.000	0.000	0.000	567.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	0.000	0.000	0.000	0.000	567.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	245.000	0.000	0.000	245.000	543.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	133035.00	111475.00
सुकमा	17	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	501.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	0.00	0.00
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	40.000	0.000	0.000	40.000	501.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	20040.00	18200.00
बीजापुर	19	बीजापुर	125.000	0.000	0.000	125.000	551.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	68875.00	56875.00
रायपुर	20	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	233.300	0.000	0.000	233.300	731.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	170542.30	106151.50
धमतरी	22	धमतरी	573.350	364.680	0.000	1485.050	621.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	922216.05	675697.75
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	57.520	0.000	0.000	57.520	1086.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	62466.72	29680.32
दुर्ग	25	दुर्ग	166.800	128.010	0.000	486.825	603.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	293555.48	221505.38
कवर्धा	26	कवर्धा	4146.000	0.000	0.000	4146.000	486.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	2014956.00	1886430.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़	7.000	56.000	0.000	147.000	601.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	88347.00	66885.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	300.000	0.000	0.000	300.000	616.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	184800.00	136500.00
मरवाही	29	मरवाही	160.370	66.500	1.000	333.620	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	168144.48	151797.10
कोरबा	30	कोरबा	12.660	225.500	0.000	576.410	1151.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	663447.91	297427.56
कटघोरा	31	कटघोरा	258.500	0.000	0.000	258.500	527.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	136229.50	117617.50
रायगढ़	32	रायगढ़	32.000	15.000	0.000	69.500	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	35028.00	31622.50
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		मेसर्स बाहुबली उद्योग	0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	180.350	0.000	0.000	180.350	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	90896.40	82059.25
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	195.000	0.000	0.000	195.000	554.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	108030.00	88725.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	175.480	1.200	38.300	446.580	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	225076.32	203193.90
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	25.000	145.000	0.000	387.500	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	195300.00	176312.50
कोरिया	38	कोरिया	97.455	1.000	0.000	99.955	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	50377.32	45479.53
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	3.000	0.000	0.000	3.000	611.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	1833.00	1365.00
	योग		11873.935	1677.890	39.300	16343.760				9803986.54	7475080.53

हर्रा की अनुमानित मात्रा	16343.760
विक्रित हर्रा	16343.760
अविक्रित हर्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	9803986.54
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	599.86
कुल व्यय 455/- एवं 516/- प्रति क्विंटल	7475080.53
शुद्ध लाभ	2328906.01
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	142.50
संग्रहण मजदूरी 450/- प्रति क्विंटल	7354692.00

परिशिष्ट - 'च'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2011-12 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
कांकेर	1	कांकेर	4000	1168.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	4672000.00	4020000.00
कांकेर	2	नरहरपुर	4000	1185.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	4740000.00	4020000.00
कांकेर	3	सरोना	1000	1160.00	अग्रिम	मेसर्स सौरभ मार्केटिंग	1160000.00	1005000.00
कांकेर	4	कोरर	3000	1105.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	3315000.00	3015000.00
कांकेर	5	चरामा	2500	1165.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2912500.00	2512500.00
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	2000	0.00			0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	3000	1061.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	3183000.00	3015000.00
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700	1013.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	3748100.00	3718500.00
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	800	0.00			0.00	0.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000	1021.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	2042000.00	2010000.00
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500	1017.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	2542500.00	2512500.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	4000	1100.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	4400000.00	4020000.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	2500	1017.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	2542500.00	2512500.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	500	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	2500	0.00			0.00	0.00
सुकमा	17	सुकमा	100	0.00			0.00	0.00
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	100	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	100	1025.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	102500.00	100500.00
रायपुर	20	रायपुर	100	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	1000	1209.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	1209000.00	1005000.00
धमतरी	22	धमतरी	3000	1185.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	3555000.00	3015000.00
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	200	1053.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	210600.00	201000.00
उदन्ती	24	उदन्ती	500	0.00			0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग	500	1165.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	582500.00	502500.00
कवर्धा	26	कवर्धा	100	1321.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	132100.00	100500.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़	100	1351.00	अग्रिम	मेसर्स सांई ट्रेडर्स	135100.00	100500.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500	1025.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1537500.00	1507500.00
मरवाही	29	मरवाही	250	0.00			0.00	0.00
कोरबा	30	कोरबा	200	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा	200	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	100	0.00			0.00	0.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	250	0.00			0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	100	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100	0.00			0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	250	1222.00	अग्रिम	मेसर्स श्याम इन्टरप्राइजेस	305500.00	251250.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	500	0.00			0.00	0.00
कोरिया	38	कोरिया	300	1222.00	अग्रिम	मेसर्स श्याम इन्टरप्राइजेस	366600.00	301500.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	500	0.00			0.00	0.00
योग			49050				43394000.00	39446250.00

हर्रा की अनुमानित मात्रा	49050.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	43394000.00
विक्रित हर्रा	39250.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	1105.58
अविक्रित हर्रा	9800.000	कुल व्यय 1005/- एवं 1066/- प्रति क्विंटल	39446250.00
		शुद्ध लाभ	3947750.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	100.58
		संग्रहण मजदूरी 1000/- प्रति क्विंटल	49050000.00

परिशिष्ट - 'छ'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2010-11 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	0.000	0.000	0.000	26371	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	0.00	0.00
2	नारायणपुर	50.000	0.000	0.000	0.000	60000	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	0.00	0.00
3	सुकमा	250.000	99.290	0.000	99.290	27175	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	2698205.75	2194309.00
4	बीजापुर	250.000	75.390	0.000	75.390	28151	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	2122303.89	1666119.00
5	दंतेवाडा	100.000	215.000	0.000	215.000	26575	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	5713625.00	4751500.00
योग			389.680	0.000	389.680				10534134.64	8611928.00

गोंद की अनुमानित मात्रा	389.680
विक्रित मात्रा	389.680
अविक्रित मात्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	10534134.64
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	27032.78
कुल व्यय 22100/- एवं 15100/- प्रति क्विंटल	8611928.00
शुद्ध लाभ	1922206.64
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	4932.78
संग्रहण मजदूरी 22000/- एवं 15000/- प्रति क्विंटल	8572960.00

परिशिष्ट - 'ज'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2011-12 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	27777	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	833310	760500
2	नारायणपुर	30.000	50010	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	1500300	760500
3	सुकमा	250.000	34200	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	8550000	6337500
4	बीजापुर	250.000	34200	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	8550000	6337500
5	दंतेवाडा	200.000	33100	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	6620000	5070000
	योग	760.000				26053610	19266000

गोंद की अनुमानित मात्रा	760.000
विक्रित मात्रा	760.000
अविक्रित मात्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	26053610.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	34281.07
कुल व्यय 27100/- एवं 20100/- प्रति क्विंटल	19266000.00
शुद्ध लाभ	6787610.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	8931.07
संग्रहण मजदूरी 27000/- एवं 20000/- प्रति क्विंटल	19190000.00

परिशिष्ट - 'झ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2010-11 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			धावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बबूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)					
1	सरगुजा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
4	धर्मजयगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
5	पेन्ड्रा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
6	धमतरी	125.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
7	महासमुंद	350.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
10	उदन्ती	20.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
11	दुर्ग	100.000	निरंक	निरंक	निरंक	2900	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	निरंक	निरंक
12	कवर्धा	20.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	निरंक
13	खैरागढ़	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
14	राजनांदगांव	150.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	300.000	निरंक	निरंक	निरंक	4104	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	निरंक	निरंक
16	नारायणपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	12911	अग्रिम	मेसर्स एन.के.ट्रेडर्स	निरंक	निरंक
17	जगदलपुर	10.000	2.000	0.000	2.000	12500	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	25000.00	5688.00
18	बीजापुर	50.000	24.740	0.000	24.740	6171	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	152670.54	70360.56
19	सुकमा	100.000	निरंक	निरंक	निरंक	5571	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	निरंक	निरंक
20	बिलासपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
21	जांजगीर-चांपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
योग		1660.000	26.740	0.000	26.740				177670.54	76048.56

	धावड़ा	खैर/बबूल	
गोंद की संग्रहित मात्रा	26.740	0.000	26.740
विक्रित गोंद	26.740	0.000	26.740
अविक्रित गोंद	0.000	0.000	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	177670.54
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	6644.37
कुल व्यय 2844/- एवं 1744/- प्रति क्विंटल	76048.56
शुद्ध लाभ	101621.98
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	3800.37
संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति क्विंटल	73535.00

परिशिष्ट - 'ञ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2011-12 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	सरगुजा	10					
2	कोरिया	10					
3	रायगढ़	50					
4	धर्मजयगढ़	10					
5	पेन्ड्रा	10					
6	धमतरी	10					
7	महासमुंद	50					
8	रायपुर	50					
9	पूर्व रायपुर	50					
10	उदन्ती	10					
11	दुर्ग	100					
12	कवर्धा	10					
13	खैरागढ़	25					
14	राजनांदगांव	150					
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100	3551	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	355100.00	227900.00
16	नारायणपुर	50	3560	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	178000.00	113950.00
17	जगदलपुर	10	20700	अग्रिम	मेसर्स झुम्मकलाल साव	207000.00	22790.00
18	बीजापुर	50	7777	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	388850.00	113950.00
19	सुकमा	100	3500	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	350000.00	227900.00
20	बिलासपुर	50					
21	जांजगीर-चांपा	50					
		955				1478950.00	706490.00

अनुमानित गोंद	955.000
विक्रित गोंद	310.000
अविक्रित गोंद	645.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	1478950.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	4770.81
कुल व्यय 2975/- एवं 1815/- प्रति क्विंटल	706490.00
शुद्ध लाभ	772460.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	2491.81
संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	2104820.00

परिशिष्ट - 'ट-1'

संग्रहण वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	325.58	325.58	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	138.09	138.09	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	255.17	255.17	0.00
4	कोरिया	194.84	194.84	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	277.62	277.62	0.00
6	जशपुरनगर	124.35	124.35	0.00
7	धरमजयगढ़	705.63	705.63	0.00
8	रायगढ़	286.39	286.39	0.00
9	मरवाही	177.89	177.88	0.01
10	कटघोरा	608.55	608.55	0.00
11	कोरबा	442.41	442.41	0.00
12	जांजगीर चांपा	3.46	3.46	0.00
13	बिलासपुर	96.05	96.04	0.01
14	महासमुन्द	550.33	550.33	0.00
15	रायपुर	169.13	169.13	0.00
16	धमतरी	250.19	250.19	0.00
17	पूर्व रायपुर	563.73	563.73	0.00
18	उदन्ती	211.84	211.84	0.00
19	कांकेर	281.32	281.29	0.03
20	उत्तर कोण्डागांव	156.19	156.19	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	120.66	120.66	0.00
22	नारायणपुर	99.02	99.02	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	861.84	861.84	0.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	395.16	395.16	0.00
25	सुकमा	388.61	388.61	0.00
26	बीजापुर	426.29	426.29	0.00
27	जगदलपुर	121.12	121.12	0.00
28	दंतेवाड़ा	133.52	133.52	0.00
29	दुर्ग	114.58	114.58	0.00
30	कवर्धा	137.79	137.79	0.00
31	राजनांदगांव	495.49	495.49	0.00
32	खैरागढ़	127.93	127.93	0.00
योग		9240.77	9240.72	0.05

परिशिष्ट - 'ट-2'

संग्रहण वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	609.17	254.35	354.82
2	पूर्वी सरगुजा	269.79	92.36	177.43
3	मनेन्द्रगढ़	311.17	165.49	145.68
4	कोरिया	303.05	241.30	61.75
5	दक्षिण सरगुजा	442.95	362.00	80.95
6	जशपुरनगर	231.74	188.99	42.75
7	धरमजयगढ़	902.36	892.70	9.66
8	रायगढ़	444.68	377.38	67.30
9	मरवाही	215.02	0.00	215.02
10	कटघोरा	775.87	591.93	183.94
11	कोरबा	626.37	581.92	44.45
12	जांजगीर चांपा	6.13	4.55	1.58
13	बिलासपुर	157.71	71.46	86.25
14	महासमुन्द	893.13	123.57	769.56
15	रायपुर	242.51	0.00	242.51
16	धमतरी	299.67	0.00	299.67
17	पूर्व रायपुर	698.69	270.40	428.29
18	उदन्ती	226.29	33.97	192.32
19	कांकेर	426.71	312.78	113.93
20	उत्तर कोण्डागांव	203.02	182.81	20.21
21	दक्षिण कोण्डागांव	144.88	46.72	98.16
22	नारायणपुर	169.79	141.34	28.45
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	1153.36	970.45	182.91
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	546.58	454.29	92.29
25	सुकमा	740.24	369.23	371.01
26	बीजापुर	630.54	624.34	6.20
27	जगदलपुर	132.07	17.64	114.43
28	दंतेवाड़ा	209.81	138.91	70.90
29	दुर्ग	222.29	221.12	1.17
30	कवर्धा	218.71	164.03	54.68
31	राजनांदगांव	715.11	574.64	140.47
32	खैरागढ़	251.55	174.25	77.30
योग		13420.96	8644.92	4776.04

परिशिष्ट - 'ठ'

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1999+2000 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1999+2000 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यो की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	251.98	152.75	99.23
2	पूर्व सरगुजा	59.55	47.95	11.61
3	मनेन्द्रगढ़	205.86	207.53	-1.67
4	कोरिया	175.15	132.08	43.07
5	दक्षिण सरगुजा	91.89	62.16	29.73
6	जशपुरनगर	46.51	43.02	3.49
7	धर्मजयगढ़	514.46	401.61	112.85
8	रायगढ़	274.56	248.98	25.57
9	मरवाही	132.56	114.53	18.03
10	कटघोरा	517.36	404.19	113.17
11	कोरबा	414.63	388.69	25.94
12	जांजगीर-चांपा	2.60	2.82	-0.22
13	बिलासपुर	35.42	22.03	13.40
14	महासमुन्द	530.22	464.43	65.79
15	रायपुर	202.93	138.24	64.69
16	धमतरी	267.98	204.75	63.23
17	पूर्व रायपुर	597.46	579.18	18.29
18	उदन्ती	151.19	148.15	3.04
19	कांकेर	287.34	145.30	142.04
20	उ. कोण्डागांव	113.23	74.70	38.53
21	द. कोण्डागांव	98.01	63.49	34.53
22	नारायणपुर	54.30	46.48	7.82
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	638.54	437.64	200.90
24	प. भानुप्रतापपुर	220.91	147.68	73.23
25	सुकमा	374.49	160.57	213.92
26	बीजापुर	372.61	262.91	109.70
27	जगदलपुर	67.17	64.67	2.51
28	दन्तेवाड़ा	82.91	73.94	10.78
29	दुर्ग	146.00	70.70	75.30
30	कवर्धा	146.96	128.06	18.91
31	राजनांदगांव	419.90	343.33	76.57
32	खैरागढ़	151.74	58.54	93.20
	योग	7646.45	5841.09	1807.16

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु उपलब्ध राशि

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	आहरित राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	54.99
2	पूर्व सरगुजा	84.25	60.21
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	112.48
4	कोरिया	122.59	25.69
5	दक्षिण सरगुजा	81.31	30.00
6	जशपुरनगर	59.65	13.46
7	धर्मजयगढ़	329.55	189.97
8	रायगढ़	197.46	115.85
9	मरवाही	96.11	64.28
10	कटघोरा	338.20	319.60
11	कोरबा	291.64	254.15
12	जांजगीर-चांपा	4.17	1.62
13	बिलासपुर	13.27	18.23
14	महासमुन्द	319.58	248.05
15	रायपुर	147.10	95.00
16	धमतरी	194.69	172.35
17	पूर्व रायपुर	423.70	177.85
18	उदन्ती	80.70	65.11
19	कांकेर	193.15	142.45
20	उ. कोण्डागांव	135.29	73.09
21	द. कोण्डागांव	125.46	40.11
22	नारायणपुर	42.24	33.90
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	147.85
24	प. भानुप्रतापपुर	148.37	82.02
25	सुकमा	303.23	61.00
26	बीजापुर	325.62	168.93
27	जगदलपुर	88.58	78.18
28	दन्तेवाड़ा	75.63	45.60
29	दुर्ग	95.39	25.00
30	कवर्धा	76.47	52.61
31	राजनांदगांव	319.89	247.29
32	खैरागढ़	103.31	21.00
योग		5546.92	3237.91

परिशिष्ट-'ढ'

वर्ष 2011 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को चप्पल प्राप्ति व वितरण की प्रगति की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई चप्पलों की संख्या	वितरित चप्पलों की संख्या	वितरण हेतु शेष चप्पलों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	24339	24339	0
2	मनेन्द्रगढ़	26187	26187	0
3	जशपुरनगर	41315	41315	0
4	उत्तर सरगुजा	68611	68611	0
5	दक्षिण सरगुजा	53404	53404	0
6	पूर्व सरगुजा	59852	59852	0
7	बिलासपुर	19558	19558	0
8	मरवाही	24865	24865	0
9	कटघोरा	62021	62021	0
10	कोरबा	36240	36240	0
11	जांजगीर-चांपा	9705	9705	0
12	रायगढ़	49179	49029	150
13	धरमजयगढ़	49007	49007	0
14	रायपुर	22905	18295	4610
15	पूर्व रायपुर	38287	38287	0
16	उदन्ती	19002	19002	0
17	धमतरी	23631	21031	2600
18	महासमुंद	87292	87292	0
19	दुर्ग	20678	20678	0
20	राजनांदगांव	49012	49012	0
21	खैरागढ़	20266	18993	1273
22	कवर्धा	24188	24188	0
23	कांकेर	32373	32373	0
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	34496	27754	6742
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30295	15332	14963
26	नारायणपुर	17716	17716	0
27	दक्षिण कोण्डागांव	22711	22711	0
28	उत्तर कोण्डागांव	24993	24993	0
29	जगदलपुर	35205	35205	0
30	दंतेवाड़ा	23003	23003	0
31	बीजापुर	35949	35949	0
32	सुकमा	58229	45824	12405
योग		1144514	1101771	42743

<u>विषय क्रमांक - 3</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में जो भी रिक्त पद होगें उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का सहकारी प्रशिक्षण ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षो को सहकारिता के अंतर्गत् अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण हेतु शेष प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षो को सहकारिता के अंतर्गत् अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

(iii) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2011 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2012 में कुल 932 लाटों में लगभग 16.399 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 16.399 लाख मानक बोरा रू. 620.19 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 3782/- प्रति मानक बोरा है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 44% अधिक है । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2012-13 में लगभग राशि रु. 558.17 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य कराया जाकर अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को तेन्दूपत्ता का परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुरुप कार्यवाही की जावेगी । तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 131.19 करोड़ की संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है । तेंदूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका हैं । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाऐं ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी गुणवत्ता का अधिक से अधिक पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 के अग्रिम निर्वतन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर 2012 से प्रारंभ किया जाना है ।

(iv) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2012 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2011 की भांति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रुप में किया जावेगा । वर्ष 2012 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है । जिससे संग्राहकों को रुपये 20 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक एवं रुपये 10 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरण होने का अनुमान है ।

(v) हर्रा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2011-12 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है, जिसमें से 21 इकाईयों की अनुमानित 39250 क्विंटल मात्रा का अग्रिम निर्वर्तन हो चुका है । शेष अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित एवं भंडारित हर्रा, कचरिया एवं बालहर्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।

संग्रहण वर्ष 2012-13 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vi) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2011-12 सीजन में कुल्लू गोंद वर्ग-1 की 5 इकाईयाँ जिसका संभावित उत्पादन लगभग 760 क्विंटल है, का अग्रिम निर्वतन किया जा चुका है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जावेगा । अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में (30 जून तक) लगभग रु. 191.90 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2012-13 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।

(vii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2011-12 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 955 क्विंटल है । विगत वर्ष गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की 5 इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा चुका था । शेष 16 अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित होने वाली अनुमानित 645 क्विंटल गोंद का विभागीय संग्रहण कार्य कराया जाकर भंडारित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी । अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में (30 जून तक) लगभग रु. 21.05 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2012-13 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(viii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य, जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, को समूह बीमा योजना का लाभ इस वर्ष भी प्राप्त होगा । 2011-2012 से प्रारंभ अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना भी वर्ष 2012-13 में लागू रहेगी ।

(ix) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की ''जनश्री'' बीमा योजना इस वर्ष भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे । इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी इस वर्ष प्राप्त होगा ।

(x) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2012-13 से लागू की गई है ।

(xi) वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 से संबंधित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की शेष राशि का वितरण किया जावेगा तथा वर्ष 2011 में तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान हैं । यह राशि लगभग रूपये 152.00 करोड़ होगी ।

(xii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999 से 2007 तक की राशि रु. 76.46 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिनके विरुद्ध अभी तक रु. 58.41 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रु. 18.07 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष कराये जावेंगे ।

(xiii) वन एवं वनोपज का विकास

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे । इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा

कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रु. 23.09 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जा कर कार्य कराये जावेंगे ।

(xiv) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

(xv) चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2012-13 में चरणपादुका प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से चरणपादुका प्राप्त कर लगभग 11.60 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक-एक जोड़ी चरणपादुका वितरित किया जावेगा, तथा शासन की स्वीकृति उपरांत वर्ष 2013-14 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं के क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

(xvi) <u>यू.एन.डी.पी. परियोजना में उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित जैव विविधता संवर्धन तथा रोजगार सृजन करने हेतु प्रांरभ की गयी योजना के चतुर्थ वर्ष</u>

वर्ष 2012-13 के अंतर्गत संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संरक्षण, क्षमता विकास, लघुवनोपज आधारित गतिविधियों के अंर्तगत लाख पालन, लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन व चिरौंजी प्रसंस्करण, गैर वानिकी जैव विविधता विकास के कार्य, जैविक प्रमाणीकरण एवं अनुसंधान एवं विस्तार आदि के कार्य किये जायेगें ।

(xvii) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2009-10 में रूपये 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी । इस योजना हेतु रू. 87.00 लाख प्राप्त हुई है । उक्त राशि से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण का कार्य कराया जावेगा । वर्ष 2011-12 हेतु रूपये 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई है, जिसमें से रूपये 1.35 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है । वर्ष 2012-13 में इनके तहत प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन किया जावेगा ।

(xviii) आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख प्राप्त हुआ है । इस राशि से वर्ष 2012-13 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण, तिखुर प्रसंस्करण, ईमली प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण हेतु इकाईयों की स्थापना तथा फार्मेसी स्थापना आदि कार्य कराये जावेंगे ।

(xix) रू. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

छत्तीसगढ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग रू. 1000/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परंतु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है । वर्ष 2008-09 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रू. 32 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है । इस राशि से आंवला, बेल, चिरौंजी एवं अन्य हर्बल उत्पादों का निर्माण बिलासपुर में, माहुल पत्ता, तैलीय बीज, चिरौटा के उत्पादों का निर्माण अम्बिकापुर में, महुआ बीज, महुआ फूल एवं इमली प्रसंस्करण संबंधी उत्पादों का निर्माण जगदलपुर में, लाख उत्पाद का निर्माण कांकेर में, हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण रायपुर एवं दुर्ग में प्रस्तावित है । इस परियेाजना के अन्तर्गत सिटकॉन रायपुर से 6 Cluster का Detailed Project Report (DPR) तैयार कराया जा रहा है । इन प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किये जाने हेतु भूमि आवंटन हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम को लेख किया गया है । अंबिकापुर में नयनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । शेष स्थानों में भूमि आवंटन उपरांत प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की जावेगी जिससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनो में वृद्वि होगी तथा प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित होंगे ।

(xx) यूरोपियन कमीशन परियोजना :

19.1 यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना :

यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना वर्ष 2012-13 में किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

19.1.1 संसाधन सर्वेक्षण :

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण का अंतिम प्रतिवेदन तथा पुस्तिका प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया जावेगा ।

9.1.2 हर्बल हेल्थ केयर :

इस घटक के अंतर्गत इथनोबॉटनिकल सर्वेक्षण में प्राप्त वनौषधी योगों के आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के दल द्वारा सत्यापन पश्चात अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रस्तावित योगों का CCRAS, New Delhi से अनुसंधान कार्य कराया जावेगा । परियोजना अंतर्गत चयनित 50 वनौषधालयों की स्थापना हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । इन वनौषधालयों के सतत् संचालन हेतु पंरपरागत चिकित्सकों को पुनः प्रशिक्षित जावेगा तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जावेगा ।

19.1.3 लघु वनोपज संग्रहण :

वर्ष 2012 में बस्तर संभाग में 62000 क्विंटल इमली के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित कर जिला यूनियन, स्व-सहायता समूहों को सूचित किया गया है । संग्रहित किये जाने वाले इमली का प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राईजेस द्वारा कराया जावेगा । अतिरिक्त इमली का भंडारण शीतगृहों में किया जाकर मांग के समय निविदा द्वारा विक्रय किया जावेगा ।

19.1.4 लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस :

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु शेष कार्य किए जावेंगे तथा स्वीकृत 93 माइक्रोइंटरप्राइजेस की सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे । इसके तहत जगदलपुर में काजू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पूर्ण कर संचालित किया जावेगा तथा धमतरी में तिखुर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु कार्यवाही किया जावेगा ।

19.1.5 विपणन :

इस घटक के तहत प्रसंस्कृत लघु वन उत्पाद, हर्बल उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन का कार्य किया जावेगा । साथ ही संजीवनी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विक्रय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यवाही किए जावेंगे ।

19.1.6 अनुसंधान विस्तार, एम.आई.एस एवं प्रमाणीकरण :-

परियोजना अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार हेतु तकनीकी सहायता के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित कार्यवाही की जावेगी । एम.आई.एस. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालित कार्यो की समीक्षा की जावेगी । साथ ही लघु वन/कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा ।

19.1.7 क्षमता विकास :

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, वन समिति, वन अमले का सशक्तिकरण तथा हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही किए जावेगें ।

19.1.8 स्व-सहायता समूहों एवं माइक्रोइंटरप्राईजेस का मूल्यांकन :

यूरोपियन कमीशन के तहत कार्यरत स्व-सहायता समूहों एवं सचांलित माइक्रोइंटरप्राईजेस का Performance Apprisal किया जावेगा । साथ ही इनके सृदृढ़ीकरण एवं सततता हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

(xxi) लाख विकास योजना :

वर्ष 2012-13 में अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख विकास योजना मद से प्राप्त होने वाले राशि रूपये 250.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

(xxii) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :

वर्ष 2012-13 में लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर विनाशविहीन विदोहन के सिद्धांत पर क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य वनौषधि प्रजातियों की पहचान करते हुये उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण के साथ ही साथ क्षेत्र के जैविक विविधता को बनाये रखने के उददे्श्य से सुरक्षा एंव संवर्धन का प्रयास किया जावेगा । वर्ष 2012-13 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जावेगी । साथ ही साथ विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों की रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा । वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रूपये 250.00 लाख एवं संघ मद से रूपये 336.45 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2012-13 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2012	16.399	लाख मा.बो.	1176.00 प्रति मा.बोरा	19285.224
2.	सालबीज	2012	40000.00	टन	7640.00 प्रति टन	3056.000
3.	हर्रा	2011-12	735.75	टन (अग्रिम)	10050.00 प्रति टन	126.230
			490.50	टन (विभागीय)	10660.00 प्रति टन	
		2012-13	2207.25	टन (अग्रिम)	10050.00 प्रति टन	378.691
			1471.50	टन (विभागीय)	10660.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2011-12	22.80	टन (श्रेणी-I)	271000.00 प्रति टन	61.788
		2012-13	39.90	टन (श्रेणी-I)	271000.00 प्रति टन	134.862
			13.30	टन (श्रेणी-II)	201000.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2011-12	15.28	टन (धावड़ा)	29940.00 प्रति टन	8.735
			22.92	टन (खैर/बबूल)	18150.00 प्रति टन	
		2012-13	22.92	टन (अग्रिम)	29750.00 प्रति टन	17.112
			34.38	टन (विभागीय)	29940.00 प्रति टन	
योग						**23068.638**

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	205.00
2.	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	40.00
3.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
4.	लाख विकास योजना	250.00
5.	पी.पी.ए. सरकार मद	250.00
6.	पी.पी.ए.संघ मद	336.45
7.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
8.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1500.00
9.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	800.00
योग		**3955.45**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2011-12 का बजट अनुमान	दिनांक 31.01.2012 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2011-12 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	250.00	191.59	250.00	275.00
2.	चिकित्सा व्यय	25.00	13.14	20.00	25.00
3.	यात्रा भत्ता	12.00	6.66	10.00	12.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	31.00	5.62	8.00	30.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान		31.51	38.00	40.00
6.	पेन्शन अंशदान		13.07	16.00	20.00
7.	ग्रेज्युटी(उपादान)	100.00	83.87	83.87	100.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण	0.00	0.00	7.00	10.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0. 61	0.00	1.00
10.	लेखन सामग्री छपाई	10.00	8.29	10.00	12.00
11.	पोस्टेज/टेलीफोन	10.00	4.40	6.00	10.00
12.	भवन किराया /बिजली	15.00	18.17	22.00	20.00
13.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	20.00	13.34	17.00	20.00
14.	संचालक मंडल तथा आमसभा	5.00	1.87	3.00	5.00
15.	वाहन व्यय	10.00	11.00	13.00	15.00
16.	प्रशिक्षण	20.00	4.72	11.00	20.00
17.	विविध आकस्मिक	10.00	4.57	6.00	10.00
18.	अंकेक्षण शुल्क	30.00	0.00	30.00	50.00
19.	न्यायालयीन व्यय	4.00	1.15	2.00	4.00
20.	घसारा	250.00	0.00	150.00	250.00
21.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	10.00	0.00	0.00	10.00
योग :-		**813.00**	**413.58**	**702.87**	**939.00**

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	150.00	1.71	2.00	200.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	100.00	0.00	0.00	50.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	0.00	0.00	5.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	40.00	41.92	45.00	50.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	10.00	1.68	3.00	10.00
योग :-		**305.00**	**45.31**	**50.00**	**315.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2012-13 में वनोपज की बिक्री से रू. 66632.806 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेंदूपत्ता	62050.536
2.	सालबीज	3800.062
3.	हर्रा	497.775
4.	कुल्लू गोंद	247.854
5.	धावड़ा,गोंद	36.579
	योग	**66632.806**

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	**तेंदूपत्ता**	
1.	वर्ष 2012 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.399 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.399 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 3782/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	55818.916
2.	वर्ष 2013 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.399 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 3800/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	6231.620
	योग	**62050.536**
(ब)	**सालबीज**	
1.	वर्ष 2011 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 1.384 टन के रु. 4500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.062
2.	वर्ष 2012 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रू. 9500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	3800.000
	योग :-	**3800.062**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(स)	**हर्रा**	
1.	वर्ष 2007-08 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.50 टन के रु. 1000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.005
2.	वर्ष 2009-10 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.50 टन के रु. 3000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.015
3.	वर्ष 2011-12 संग्रहित होने वाली मात्रा 980 टन जो संग्रहित होगी के लिये रू. 10250/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	100.450
4.	वर्ष 2012-13 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 4905 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 12000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	397.305
	योग :-	**497.775**
(द)	**कुल्लू गोंद**	
1.	वर्ष 2011-12 सीजन की वर्ष 2012-13 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 30.4 टन के रू. 342810/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	104.214
2.	वर्ष 2012-13 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 76 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 350000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	143.214
	योग :-	**247.854**
(इ)	**धावड़ा, गोंद**	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 1500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.002
2.	वर्ष 2011-12 सीजन की वर्ष 2012-13 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 38.2 टन के रू. 35000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	13.370
3.	वर्ष 2012-13 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 95.5 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 45000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	23.207
	योग :-	**36.579**
	महायोग आय :-	**66632.806**

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	5000.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	400.00
	योग :-	**5400.00**

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	205.00
2.	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	40.00
3.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
4.	लाख विकास योजना	250.00
5.	पी.पी.ए. सरकार मद	250.00
6.	पी.पी.ए.संघ मद	336.45
7.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
8.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1500.00
9.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	800.00
योग		**3955.45**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.062
3.	हर्रा	100.470
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	104.214
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	13.372
	योग :-	**218.118**

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	44.145
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	15.960
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	2.579
	योग	**62.684**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	66632.806
2.	विविध आय	5400.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	3955.450
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	62.684
	महायोग	**76050.940**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	23068.642
2.	कार्यालयीन व्यय	939.000
3.	पूंजीगत व्यय	315.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	3955.450
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	218.118
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	47154.730
	महायोग	**75650.940**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	**76050.940**
कुल व्यय	**75650.940**
संघ का शुद्ध लाभ	**400.000**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

निर्वाचित संचालक

- ❖ माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री सग्गे सिंग बट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री रूप नारायण पाण्डे, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- ❖ श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

नामांकित संचालक

- ❖ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
- ❖ प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

पदेन संचालक

- ❖ छ.ग. शासन के निर्देश पर भारत शासन के नामांकित अधिकारीगण
- ❖ प्रभारी सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि
- ❖ पंजीयक सहकारी संस्थाऐं या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो
- ❖ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित
- ❖ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
- ❖ अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1	श्री ए.के.सिंह (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3	डॉ.बी.पी.नोन्हारे (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक	मुख्य वन संरक्षक
4	श्री अनिल कुमार साहू	महाप्रबंधक-2	वन संरक्षक
5	श्री व्ही.एस.लकड़ा	महाप्रबंधक-1	वन संरक्षक
6	श्री एस.पी.रजक	उप महाप्रबंधक	उप वनसंरक्षक
7	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	-
8	श्री यू.बी.एस.राठिया	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
9	श्री सी.एल.ठाकुर	प्रबंधक (लेखा)	उप पंजीयक
10	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन सरंक्षक
11	श्री एस.के.सरीन	सहायक लेखा अधिकारी	अंकेक्षण अधिकारी, सह.समितियाँ
12	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	-

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधि

क्र.	जिला यूनियन का नाम	नाम	पद	पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
					कार्यालय	निवास
1.	रायपुर	श्री जयलाल डडसेना	अध्यक्ष	मु.पो.रिकोकला, व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर (छ.ग.)	0771-2427640	93018-11955
		श्री बलभद्र सिंह ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर (छ.ग.)	फैक्स-2422413	93290-64321
2.	पूर्व रायपुर	श्री रज्जन लाल खरे	अध्यक्ष	ग्राम बि.नवागढ़, पो.आ. एवं तह.बि.नवागढ़, जिला रायपुर (छ.ग.)	0771-2432095	78790-03596
		श्री रामनारायण	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर (छ.ग.)	फैक्स-2432095	99932-30891
3.	उदन्ती (गरियाबंद)	श्री नरोत्तम साहू	अध्यक्ष	ग्राम बोईरगांव, पोस्ट व तहसील मैनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	07706-241350	
		श्री पुनीत राम सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम छेलडोगरी, पोस्ट गोहरापादर, तहसील-मैनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	फैक्स-241407	99375-35652 97701-18237
4.	महासमुंद	श्री हितेश चन्द्राकर	अध्यक्ष	ग्राम + पो. खुसरूपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	07723-222084	94242-05204
		श्री रविशंकर गोड़	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट-छोटे लोरम, जिला महासमुंद(छ.ग.)	फैक्स-223831	97549-38307
5.	धमतरी	श्री अखिलेश प्रजापति	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट गट्टासिल्ली	07722-238371	95756-89674 93017-36661
		श्री आलोक सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	फैक्स-236137	94242-19636
6.	बिलासपुर	श्री मनोहर सिंह राज	अध्यक्ष	ग्राम छतौना जिला बिलासपुर (छ.ग.)	07752-226082	97706-63771
		श्री तीजम सिंह मरावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ठरकपुर, पोस्ट-खम्हरिया जिला बिलासपुर (छ.ग.)	फैक्स-226082	97542-39341
7.	मरवाही	श्री जयराम सिंह	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट मझगंवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	07751-221000	
		श्री दयाल सिंह यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट-जोगीसार, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	फैक्स-220180	97005-61528

8.	रायगढ़	श्री नृपत सिंह राठिया	अध्यक्ष / संघ प्रतिनिधि	ग्राम-बैहामुड़ा,पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा, जिला रायगढ़	07762-224426 फैक्स-226047	93017-77396
9.	धरमजयगढ़	श्री संतराम राठिया	अध्यक्ष	ग्राम कमरई, पोस्ट सुक्कालो, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	07766-266231	95894-43476
		श्रीमती मनकुवंर राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरतापाली, पोस्ट-गेरसा, तहसील-धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	फैक्स-266231	07762-246058 93297-07482
10.	कटघोरा	श्री लीलाधर सिंह	अध्यक्ष	ग्राम+पोस्ट तिवरता, तहसील पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)	07815-250157	83496-86176
		श्री अक्षय कुमार अग्रवाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतर्रा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)	फैक्स-250157	98931-52833
11.	कोरबा	श्री चमार सिंह	अध्यक्ष	ग्रा.पो.-केरवांद्वारी, कोरबा (छ.ग.)	07759-221273	94790-28898
		श्री उधोराम कश्यप	संघ प्रतिनिधि	मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा (छ.ग.)	फैक्स-223531	90099-39738
12.	जाजगीर-चांपा	श्री जागेश्वरसिंह राज	अध्यक्ष	मुकाम पोस्ट देवरमाल, तह.जिला जॉजगीर-चांपा (छ.ग.)	07819-244622	93295-08924
		श्री चुन्नीलाल साहू	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा, तह. व जिला जॉजगीर- चॉपा (छ.ग.)	फैक्स-244622	99811-72172
13.	दुर्ग	श्री यज्ञदत्त शर्मा	अध्यक्ष	ग्राम आमापारा, तह. बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)	0788-2327531	94255-61062
		श्री गंगाराम ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग (छ.ग.)	फैक्स-2210268	97546-17583
14.	राजनांदगांव	श्री शत्रुधन सिंह टेकाम	अध्यक्ष	ग्राम - बोरियामुकासा, पो.-खड़गांव, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	07744-225059	94063-71238
		श्रीमती ब्रम्हानी चंद्राकर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम अछोली, पोस्ट आमगांव, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	फैक्स-224802	99932-93118, 07745-256050

15.	खैरागढ़	श्री मोतीराम उईके	अध्यक्ष/ संघ प्रतिनिधि	ग्राम खमपुरा, पो. बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	07820-234278 फैक्स-234822	97544-20366
16.	कवर्धा	श्री सुदर्शन साहू	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खैरबना, तहसील-कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232230	94241-30730
		श्री पंचराम ध्रुर्वे	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तहसील -पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	फैक्स-232328	94076-53051
17.	जगदलपुर	श्री रामनाथ भारती	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट घोटिया	07782-222414	94255-96842
		श्री केदारनाथ साहनी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम माड़पाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर (छ.ग.)	फैक्स-223390	90098-36208
18.	दन्तेवाड़ा	श्री चैतराम अटामी	अध्यक्ष	ग्राम कसोली छिंदनार, तह.गीदम, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)	07856-252228	94060-75256
		रिक्त	संघ प्रतिनिधि		फैक्स-252228	
19.	सुकमा	श्री करटम देवा	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट पोलमपल्ली, तह.कोंटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)	07864-284209	97077-08736
		श्री कवासी रमेश	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)	फैक्स-284300	
20.	बीजापुर	श्री कुवरसिंह भज्जी	अध्यक्ष	ग्राम. केरपे, पो.करकेली, तह. भोपालपटनम, जिला बीजापुर (छ.ग.)	07853-220236	94076-44405
		श्री नीलम गनपत	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-गुलापेटापो.- चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि.-बीजापुर (छ.ग.)	फैक्स-237241	94242-98885
21.	कांकेर	श्री विजय मण्डावी	अध्यक्ष	ग्राम+पो.उड़कुड़ा, तह. चारामा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07868-222006	94255-93844
		श्री सग्गे सिंह वट्टी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट धनसेरा, तह.नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	फैक्स-222173	97701-30301 97536-51100

22.	दक्षिण कोंडागांव	श्री तोलूराम शोरी	अध्यक्ष	ग्राम करमरी, पो.आ. जोड़ेकेरा, तह. कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)	07786-242303	97556-39408
		श्री सुकदास शार्दुल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तहसील - कोडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)	फैक्स-243402	
23.	उत्तर कोंडागांव	श्री हरिराम नाग	अध्यक्ष	ग्राम बेलगांव, पोस्ट धनोरा, तहसील - केशकाल, जिला - बस्तर (छ.ग.)	07786-242234	94792-86288
		श्रीमती राजकुमारी मरकाम	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट - बॉसकोट, तहसील - केशकाल, जिला - बस्तर (छ.ग.)	फैक्स-243493	
24.	नारायणपुर	श्री मैनुराम कुमैठी	अध्यक्ष	ग्राम-माहका, पोस्ट बिजली, जिला नारायणपुर (छ.ग.)	07781-252228	94242-76987
		श्री महादेव देहारी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-डूमरतरई, पोस्ट-वाकुलवाही, तहसील व जिला-नारायणपुर (छ.ग.)	फैक्स-252253	94242-87098
25.	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री सोमारू राम कुरेटी	अध्यक्ष	ग्राम-माटपल्ली, पोस्ट-संगम, तहसील-पंखाजुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	07850-252242	94062-83725
		श्री दिवाकर बैरागी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-पी.व्ही.39, पोस्ट-पी. व्ही.38, तहसील-पखांजूर, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)	फैक्स-252367	9407639895
26.	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री रघुनाथ कुमेटी	अध्यक्ष	ग्राम-तहकाल, पो एवं तहसील अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07850-252223	94790-67490
		श्री टीकम टांडिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, (छ.ग.)	फैक्स-252815	

27.	उत्तर सरगुजा	श्री सिंगाचंद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-मायापुर, पो.-चन्दौरा, तहसील - प्रतापपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)	07774-240339	90091-63555
		श्री कृष्ण मुरारी यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गाजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	फैक्स-240224	89639-03055
28.	दक्षिण सरगुजा	श्री संतोष सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-सेंधोपारा (चन्द्रमेढ़ा) जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-240238	97542-38097
		श्री मुरारीलाल सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट डेडरी,सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	फैक्स-240238	94252-70300 99771-77282
29.	पूर्व सरगुजा	श्री हरिकिशुन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-पहारपारा, पोस्ट-परसा, जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-240765	76979-61471
		श्री करमदेव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-ओंकारनगर, पोस्ट-महाराजगंज, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	फैक्स-240916	
30.	कोरिया	श्री रामनाथ सिंह कंवर	अध्यक्ष	ग्राम सरभोका, पोस्ट कुडेली, तह. बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)	07836-232227	99772-10109
		श्री रूपनारायण पाण्डेय	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुड़ीझरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह. बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)	फैक्स-235564	94242-53575
31.	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती इरावती वेक	अध्यक्ष	ग्राम मनवारी, पो. केल्हारी तह. मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)	07771-241349 फैक्स-241743	96178-90804
		रिक्त	संघ प्रतिनिधि			
32.	जशपुरनगर	श्री बजरंग राम ध्रुव	अध्यक्ष	ग्राम बरपानी, पोस्ट लुड़ेग, तह.पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)	07763-223225	98930-04129
		श्री रामस्वरूप यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम खैरापाठ, पोस्ट-कामरिया, तह. बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)	फैक्स-220998	94061-27395